पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दुरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : **6183**/अका.का.प/2018 रायपुर, दिनॉक, **13/04/2018**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की उनचालीसवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 20.04.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे की विषयसूची

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 1 से 6 तक)
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 28.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

3. डॉ. बी. के. मेहता प्रकरण पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से प्राप्त अभिमत अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 7 से 16 तक)
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान का धारणाधिकार स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 17)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

5. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय रायपुर में प्रभारी प्राचार्य के प्रकरण पर विचार करना। (पृ.क्र. 18)
6. डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जांच प्रतिवेदन/बंद लिफाफा पर विचार करना। (पृ.क्र. 19)

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–

7. श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 20 से 59 तक)

मूल विज्ञान केन्द्र –

8. मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 60)
9. CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 61)
10. CBS के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 62)

फार्मेसी संस्थान –

11. फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

भौतिकी अध्ययनशाला –

12. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 63)

भू–विज्ञान अध्ययनशाला –

13. भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के लिये अनुमानित व्यय रू. 7,15,000=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 64)

वोकेशनल कोर्स से संबंधित प्रस्तावः–

14. B.Voc. के Advisory Committee की अनुशंसा को स्वीकार करने पर विचार करना। (पृ.क्र. 65)

विविध प्रकरण सूचनार्थ –

15. माननीय कार्यपरिषद् के सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता से E-mail दिनांक 22.03.2018 के बिंदु क्रमांक 1–4 की जानकारी वि.वि. के पत्र क्रमांक 24.03.2018 के द्वारा दिये जाने की सूचना कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2018 में दी गई। बिन्दु क्रमांक 05 की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके लिये माननीय सदस्य 10.04.2018 के संदर्भ में वि.वि. के पत्र क्रमांक 1527 दिनांक 13.04.2018 को प्रेषित की गई। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न। (पृ.क्र. 66)

प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य प्रस्तावः–

16. आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में दै.वे. भो. से नियमित हुए 50 कर्मचारियों को छ.ग. सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र. 67 से 69 तक)

अध्यापक शिक्षा संस्थान से संबंधित प्रस्तावः–

17. अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 70 से 71 तक)

18. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : **6184**/अका.का.प/2018 रायपुर, दिनाँक, **13/04/2018**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांकः 6087 अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 28/03/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की अड़तीसवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 28.03.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य	8.	डॉ. चन्द्रशेखर चौबे – सदस्य
2.	डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य	9.	डॉ. नरेन्द्र पटनायक – सदस्य
3.	डॉ. बशीर हसन – सदस्य	10.	श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
4.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य	11.	बी.एल. तिवारी – सदस्य
5.	डॉ. के.एल. वर्मा – सदस्य	12.	श्री नरेशचन्द्र गुप्ता – सदस्य
6.	डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य	13	डॉ. लक्ष्मीकांत भारती – सदस्य
7.	डॉ. सोम कुमार चटर्जी – सदस्य	14	श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव – सचिव

मान. कार्यपरिषद् के सचिव, डॉ. संदीप वनसूत्रे ने सम्माननीय कार्यपरिषद् के सदस्यों को माननीय कुलाधिपति, श्री बलरामजीदास टंडन द्वारा प्रो. केशरी लाल वर्मा, विभागाध्यक्ष भाषा विज्ञान, पं.र.वि.वि. रायपुर एवं कार्यपरिषद् के सदस्य को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने की सूचना देते हुए कार्यपरिषद् के अध्यक्ष, मान. कुलपति प्रो. एस.के. पाण्डेय से नवनियुक्त कुलपति के स्वागत के लिए अनुरोध किया एवं सभी सदस्यों ने मेज थप-थपाकर इस नियुक्ति के लिये बधाई दी।

कार्यवृत्त :

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

   निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 एवं 09.03.2018 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

<u>वित्त विभाग से संबंधित प्रस्तावः–</u>

3. वित्तीय सत्र 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय, 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2018–19 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक के अनुमोदन पर विचार करना।

   निर्णय : वित्तीय सत्र 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय, 2017–18 का पुनरीक्षित आय–व्यय पत्रक एवं 2018–19 का अनुमानित आय–व्यय पत्रक का अनुमोदन किया गया।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

4. डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक का याचिका अपील क्रमांक 558/2017 पर मान. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2017 के आधार पर प्रशासनिक प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : डॉ. बी.के. मेहता के प्रकरण पर, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से अभिमत लेकर आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं साथ ही कुलपति (जो कार्यपरिषद् के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं) का कार्यकाल समाप्त होने और यह नीतिगत निर्णय होने के कारण छ.ग. उच्च न्यायालय से, आगामी तिथि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।

5. विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं की सूची में श्री ऐश्वर्य सिन्हा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के नाम शामिल किए जाने के संबंध में।

निर्णय : विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं की सूची में श्री ऐश्वर्य सिन्हा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एवं श्री अवधेश कुमार सिंह का नाम सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

6. पुनर्मूल्यांकन में हुई अनियमितता की जाँच अधिकारी, श्री मोहन पवार, सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट, बंद लिफाफा को खोलना एवं उस पर विचार करना।

निर्णय : श्री मोहन पवार जाँच अधिकारी एवं राज्य सूचना आयुक्त, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, रायपुर से पुनर्मूल्यांकन के प्रकरण पर प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रो. व्यास नारायण दुबे (निलंबित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण श्री व्यास नारायण दुबे का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया एवं प्रो. व्यास नारायण दुबे के द्वारा लिये गये अग्रिम का विश्वविद्यालय के नियमानुसार अविलंब समायोजन करने हेतु निर्देशित किया गया।

यांत्रीकी विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

7. बायोसाइंस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 6,07,778 (शब्दों में छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र) के भुगतान का अनुमोदन कर सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : बायोसाइंस अ.शा. में सेपरेट ट्रांसफार्मर लगाने के लिए छ.ग.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित डी.डी. नगर जोन, रायपुर को राशि रु. 6,07,778 (शब्दों में छः लाख सात हजार सात सौ अठहत्तर रुपये मात्र) के भुगतान का अनुमोदन का अनुमोदन किया गया।

8. बेसिक साइंस सेन्टर में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 14,29,209=00 (चौदह लाख उन्तीस हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : बेसिक साइंस सेन्टर में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 14,29,209=00 (चौदह लाख उन्तीस हजार दो सौ नौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कर अनुमोदन किया गया।

9. पावरग्रिड Boys hostel में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 15,54,647=00 (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैंतालीस रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय : पावरग्रिड Boys hostel में नये 3 फेस स्थायी विद्युत कनेक्शन का डिमांड नोट में देयक राशि रु. 15,54,647=00 (पन्द्रह लाख चउवन हजार छः सौ सैंतालीस रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति कर अनुमोदन किया गया।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्तावः–</u>

मूल विज्ञान केन्द्र –

10. मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Euipments/Instruments क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. 20,17,925=00 (बीस लाख सत्रह हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

11. CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री रु. 22,64,491=00 (बाइस लाख चौंसठ हजार चार सौ इंक्यानबे रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

12. CBS के लिये फर्निचर हेतु रु. 12,54,458=00 (बारह लाख चौवन हजार चार सौ अंट्ठावन रुपये) निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

फार्मेसी संस्थान –

13. फार्मेसी संस्थान के प्रथम तल पर नवनिर्मित लैब एवं इंस्ट्रूमेंट लैब को मॉड्यूलर वर्क टॉप्स बनाये जाने हेतु अनुमानित लागत रु. राशि 8.00 लाख के व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

भौतिकी अध्ययनशाला –

14. DST Fist प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत राशि से भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस., प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय रु. 7,86,948=00 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वित्तीय वर्ष की समाप्ती के कारण आगामी कार्यपरिषद् में पुनः प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्तावः–

15. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित स्वर्ण पदक को स्थानांतरित किए जाने के संबंध में अनुमति।

निर्णय : पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. तथा स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई में संचालित पाठ्यक्रम से संबंधित स्वर्ण पदक को स्थानांतरित किए जाने का अनुमोदन किया गया।

16. निम्नांकित महाविद्यालयों में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

(i) गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी
(ii) रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद
(iii) कला महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी
(iv) रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुर

निर्णय : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार निम्नानुसार महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
(i)	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी	डॉ. होबलाल साहू
(ii)	रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद	डॉ. लिंगराज पात्रो
(iii)	कला महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी	डॉ. किरण श्रीवास्तव
(iv)	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई दरबार रोड, महादेवघाट, रायपुर	डॉ. प्रभु दयाल शर्मा

पूरक विषयसूची

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

   निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. छ.ग. संवाद को वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका के मुद्रण के देयक राशि रु. 84,72,824.00 भुगतान की स्वीकृती प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

   निर्णय : छ.ग. संवाद को वार्षिक एवं पूरक परीक्षा के लिये उत्तर पुस्तिका के मुद्रण के देयक राशि रु. 84,72,824.00 भुगतान की स्वीकृती प्रदान की गई।

3. कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 में संलग्न पत्र दिनांक 26.09.2017 एवं 17.11.2017 अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

   निर्णय : कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 2018 में संलग्न पत्र का प्रतिउत्तर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप 7वां वेतनमान एवं यू.जी.सी. 7वां वेतनमान लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को पत्र लिखने के लिए अनुमति के संबंध में।

   निर्णय : छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप 7वां वेतनमान एवं यू.जी.सी. 7वां वेतनमान लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को पत्र लिखने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

5. Result processing work 2017-18 एवं Pre. & Post Exam. work 2018-19 कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

   निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.02.2018 के बिंदु क्र. 5 के निर्णय के अनुपालन में तकनीकी समिति द्वारा जारी की गई निविदा का DPC एवं CPC के अनुशंसानुसार Pre. & Post Exam. work के लिये National Co-oporative consumers Federation of India Ltd. Kanke Road, Ranchi, Jharkhand को सत्र 2017–18 के Post Exam. work एवं सत्र 2018–19 के लिये Pre. & Post Exam. work के लिये प्राप्त दर का अनुमोदन करते हुए कार्यादेश जारी करने की अनुशंसा की गई।

6. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए MOU की गई की सूचना ग्रहण करना।

   निर्णय : इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए MOU की गई की सूचना ग्रहण की गई।

7. डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने के कारण प्रोफसेर पद पर धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में।

निर्णय : डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भाषा विज्ञान अध्ययनशाला को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति नियुक्त किये जाने के कारण प्रोफसेर पद पर, छ.ग. शासन के नियमानुसार धारणाधीकार स्वीकृत किया गया।

8. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, पो.–कुर्रू, तह.–अभनपुर, जिला–रायपुर में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति के संबंध में समिति की अनुशंसा (बंद लिफाफा) पर विचार करना।

निर्णय : श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–पचेड़ा, पो.–कुर्रू, तह. –अभनपुर, जिला–रायपुर में परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसित Dr. Preeti Gurnani का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 6088 /अका./का.प./2018 रायपुर, दिनांक : 28/03/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय : डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका अपील क्रमांक 558/2017 के संबंध में प्राप्त विधिक अभिमत।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.2018 के विषय क्रमांक 04 में डॉ. बी.के. मेहता के याचिका क्रमांक 558/2017 के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि– "डॉ. बी.के. मेहता के प्रकरण पर, विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से अभिमत लेकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने एवं छ.ग. उच्च न्यायालय से, आगामी तिथि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए आदेशित किया गया है।"

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णयानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1326/सा.प्रशा./विधिक/2018 दिनांक 05.04.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्रकरण के संबंध में विधिक अभिमत मांगी गयी थी।

श्री नीरज चौबे, विश्वविद्यालय अधिवक्ता से अभिमत बिन्दु क्रमांक 1 से 18 तक प्राप्त हो गया है। (अभिमत की प्रति संलग्न है।)

डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के याचिका क्रमांक 558/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 के संबंध में पुनः समय लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिये विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से अनुरोध किया गया था।

प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक 558/2017 की सुनवाई तिथि 25.04.2018 को नियत की गयी है।

डॉ. बी.के. मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के याचिका क्रमांक 558/2017 के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त अभिमत की बिन्दु क्रमांक 18 में यह उल्लेखित है कि:– **"चूंकि कार्यपरिषद के उक्त निर्णय में इन्हें निलंबन अवधि में No Work, No pay का सिद्धांत लगाते हुये निर्णय लिया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं किया गया है, तथा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को निलंबन अवधि के वेतनमान के संबंध में पुनः निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यपरिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 61 के अनुसार, इनके निलंबन अवधि के वेतनमान के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिये।"**

विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 61 की उद्यरण निम्नानुसार है:–

"When a University employee who has been dismissed, removed, or suspended, is reinstated, the authority competent to order reinstatement shall make a specific order :

(a) regarding the pay and allowances to be paid to the employee for the period of his absence from duty; and

(b) whether or not the said period shall be treated as period spent on duty for all purposes.

डॉ.बी.के.मेहता, सेवानिवृत्त संचालक/प्रोफेसर के याचिका क्रमांक 558/2017 के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त अभिमत, कार्यपरिषद के विचारार्थ/निर्देशार्थ एवं प्रकरण की सुनवाई तिथि 25.04.2018 की सूचना कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

F:/Sahu /Letter 2018/125

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

—//विधिक अभिमत //—

विश्वविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर निम्न तथ्य स्पष्ट होते है –

1. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 08.11.2005 के द्वारा डॉ. बी. के मेहता को दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में अनियमितताओं तथा कर्त्तव्य निर्वाह में घोर उपेक्षा करने के आरोप में निलंबित कर नियमानुसार विभागीय जॉच की कार्यवाही संस्थित किया जाकर, वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ विभूति राय को जॉच अधिकारी बनाया गया था।

2. विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 18.07.2006 के माध्यम से विभागीय जॉच अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत् निवेदन किया गया था। तदोपरांत दिनांक 17.11.2006 को जांच अधिकारी के द्वारा विभागीय जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।

3. डॉ बी. के. मेहता को विश्वविद्यालय के द्वारा जारी आरेप पत्र एवं उन आरोपों पर जॉच अधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार थें,

क.	आरोप	निष्कर्ष
1.	He opened the distance education programme even before the resolution dated 2.1.2004 passed by the Executive Council of the University,	Partly proved
2.	He allowed the Study centers outside the state,	Partly proved
3.	He commenced the courses without obtaining permission from Distance Education Council,	**Fully proved**
4.	He did not prepare the study materials for different courses and did not obtain approval of the same;	Partly proved
5.	He did not control the mass copying; breach of confidentiality; appearance of proxy examinees etc. during the examination conducted in the study centres ;	Partly proved
6.	He got published such news items in the print and electronic media, which has tarnished the image of the University;	**Not proved**
7.	He did not provide study materials and the courses to the study centers well in advance.	Partly proved

Scanned by CamScanner

4. इसी बीच डॉ. बी. के. मेहता के द्वारा, विश्वविद्यालय के कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 1730/2006 प्रस्तुत कर, आरोप पत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि, आरोप पत्र, कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जो कि उनकी नियुक्तिकर्ता अधिकारी नहीं है। आरोप पत्र कार्यपरिषद के द्वारा जारी नहीं किया गया है। कुलसचिव को आरोप पत्र जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

5. डॉ. बी. के मेहता की उक्त याचिका की सुनवाई दिनांक 05.06.2006 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जाँच की कार्यवाही पर कोई स्थगन नहीं दिया गया, परन्तु यह निर्देशित किया गया था कि, विभागीय जाँच की प्रक्रिया जारी रखी जाये, परन्तु जाँच रिपोर्ट के आधार पर याचिका क निराकरण तक कोई अंतिम निर्णय न लिया जावे।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.06.2006 के प्रकाश में विभागीय जाँच उपरांत, जाँच अधिकारी के निष्कर्ष वि0 वि0 की कार्यपरिषद प्राप्त होने के पश्चात भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इसी दौरान दिनांक 31.12.2008 को उनकी अर्धवार्षिक आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण डॉ बी. के. मेहता, विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।

7. डॉ0 बी. के. मेहता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत उक्त याचिका पर अंतिम सुनवाई पश्चात् दिनांक 01.09.2014 को अंतिम आदेश पारित करते हुये, वि0 वि0 के कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कुलसचिव के क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्णय देते हुये अपास्त किया गया था। उक्त आदेश के अंतिम पैरा में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया था कि, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विभागीय जाँच को उसके गुण दोष के आधार पर अपास्त नहीं किया जा रहा है एवं विश्वविद्यालय को यह संवतंत्रता/अधिकार है कि, वह विधि के अनुसार विभागीय जाँच संस्थित कर सकती है।

8. यह कि, प्रकरण के अवलोकन से ऐसा पतीत होता है कि, माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 3 के प्रावधान एवं दिनांक 31.12.2008 को डॉ. बी. के. मेहता के सेवानिवृत्त हो जाने के तथ्य को नहीं लाया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.09.2014 को पारित निर्णय में, डॉ0 बी. के. मेहता को कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी आरोप पत्र को तकनीकी आधार पर त्रुटिपूर्ण माना था।

Scanned by CamScanner

9. डॉ0 बी. के. मेहता 31.12.2008 को विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त हो चुके थे, प्रकरण का निराकरण न हो पाने के कारण उन्हें 90% पेंशन प्राप्त हो रही थी। अतः विश्वविद्यालय की ओर से प्रकरण को समाप्त करने के उद्देश्य से युगल पीठ के समक्ष रिट अपील करने के स्थान पर प्रकरण का निराकरण करने बावत् विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के समक्ष रखा जाना अधिक उचित समक्ष।

10. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 61 मे दिये गये प्रावधानानुसार, इनके प्रकरण एवं आवेदनों पर पूर्णता समग्र रुप से सहानुभूतिपूर्वक एवं उदारतापूर्वक विचार करते हुये दिनांक 28.10.2014 को निर्णय लिया गया था।

11. डॉ बी. के. मेहता के द्वारा, विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 28.1.2014 एवं उसके आधार पर जारी आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1845/2017 के माध्यम से चुनौती दी गई थी। जिस पर विश्वविद्यालय का पक्ष सुनने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15/11/2017 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण में " No work No pay" का सिद्धांत लागू न होने के कारण प्रकरण को पुन : कार्यपरिषद के समक्ष नये सिरे से निर्णय हेतु आदेशित किया गया है।

12. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2014 में इन्हें निर्दोष घोषित नहीं किया गया था और न ही विभागीय जॉच पर गुण–दोष के आधार पर कोई निष्कर्ष प्रदान किया गये है। अपितु विश्वविद्यालय को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि, वह विधि के अनुसार विभागीय जॉच की कार्यवाही पुनः संस्थित कर सकती है। डॉ बी. के. मेहता को निलंबित किये जाने का आदेश दिनांक 08.11.2005 को विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद के आदेशानुसार जारी किया गया था। विभागीय जॉच उपरांत प्रतिवेदन भी दिनांक 17.11.2006 को विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया था। यदि डॉ0 बी0 के0 मेहता प्रकरण में सहयोग करते तो प्रकरण का निराकरण उसी वर्ष हो गया होता।

13. डॉ0 बी. के. मेहता स्वयं प्रकरण का निराकरण तत्समय कराना नहीं चाहते थे, शायद उन्हें विभागीय जॉच अधिकारी के प्रतिवेदन में आने वाले निष्कर्ष का अभास हो गया था, जिसके कारण उन्होंने प्रकरण के निराकरण हेतु तत्समय कोई रुचि प्रदर्शित करने के स्थान पर प्रकरण के निराकरण में बिलंब कराया जाना उचित समझा था, एवं विश्वविद्यालय के द्वारा जारी निलंबन आदेश को उनके द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई।

14. कार्यपरिषद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.09.2014 के प्रकाश में प्रकरण का उचित निराकरण करने बावत्,

Scanned by CamScanner

व्यापक विचारोपरांत कार्यपरिषद का यह मत था कि, तत्समय डॉ. बी. के मेहता को सेवानिवृत्त हुये 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा वे 68 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके है। उनके गंभीर कदाचरण के कृत्य के कारण विश्वविद्यालय को हुई आर्थिक एवं साख की क्षति की प्रतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुये प्रकरण का निराकरण उदारतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिये। अतः इस आधार पर इनकी सेवा निवृत्त तिथि के अनुसार वेतन का पुनः निर्धारण कर नियमानुसार संशोधित पेंशन भुगतान करने का उदारता पूर्वक निर्णय लिया गया था।

15. यदि प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वर्ष 2006 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जाता तो, डॉ0 बी0 के0 मेहता के कदाचरण के कृत्य प्रमाणित हुये थे एवं प्रकरण की पुनः विभागीय जॉच कराने की स्थिति में जॉच प्रतिवेदन पर कार्यपरिषद को विश्वविद्यालय परिनियम 31 में वर्णित दण्ड से दण्डित करने के संबंध में विचार करना पड़ता, जिसके कारण प्रकरण में रिकवरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जिससे डॉ0 बी. के. मेहता को वर्तमान में दिये जा रहें सेवानिवृत्ति लाभ प्रभावित हो सकते थे।

अतः एक दशक पुराने प्रकरण पर पुनः विभागीय जॉच कराना कार्यपरिषद के द्वारा उचित नहीं समझा गया था। चूंकि निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार सत्प्रतिशत राशि/स्वत्वों का भुगतान वि0 वि0 के द्वारा तत्समय नियमितरुप से किया गया था,तथा इनको 6वें वेतनमान के अनुसार पेंशन इत्यादि का निर्धारण किया जा सके इस हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा कभी उदारतापूर्वक विचार करते हुये मानवीय आधार एवं उनकी वृद्धावस्था को देखते हुये कार्यपरिषद के द्वारा इनकी निलंबन अवधि को, पेंशन के निर्धारण हेतु ही सेवा अवधि के रुप में मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिससे इन्हें नवीन वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त हो सके।

16. डॉ0 बी. के. मेहता को विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 08.11.2005 के माध्यम से निलंबित किया गया था। विभागीय जॉच की कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी थी एवं जॉच प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को 17.11. 2006 को प्राप्त हो गया था। निलंबन अवधि में उन्हें इतिहास अध्ययन शाला से सम्बद्ध किया गया था। उक्त अवधि में इनके इतिहास अध्ययन शाला में उनकी उपस्थित के अभिलेख प्रस्तुत नहीं है।

17. डॉ बी. के. मेहता के प्रकरण में रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजो साक्ष्य के अवलोन पर, उन्हें कदाचरण के संबंध में पूर्णतः निर्दोष नहीं साबित नहीं होते है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इन्हें पूर्णतः निर्दोष घोषित नहीं किया गया है, अपितु तकनीकी

Scanned by CamScanner

कारणों से मात्र आरोप पत्र को अपास्त किया गया था। कार्यपरिषद इनके सेवा अभिलेख एवं दस्तावेजों के आधार पर युक्तिसंगत निर्णय ले सकती है।

18. चूँकि कार्यपरिषद के उक्त निर्णय में इन्हें निलंबन अवधि में No Work, No pay का सिद्धांत लगाते हुये निर्णय लिया गया था। जिसे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं किया गया है, तथा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को निलंबन अवधि के वेतनमान के संबंध में पुनः निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यपरिषद के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंड़िका 61 के अनुसार, इनके निलंबन अवधि के वेतनमान के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिये।

Neeraj Choubey(Advocate)
Office-Mahamaya Vihar Colony,
Ware Hose Road, Bilaspur (C.G.)
MB : 9893407057

Scanned by CamScanner

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

Writ Appeal No. 558 of 2017

Dr. B.K.Mehta **Versus** Pt. Ravishankar Shukla University & Another

28/02/2018	Shri Prateek Sharma, Advocate for the Petitioner. Shri Neeraj Choubey, Advocate for the Respondent. The Respondent-University is directed to decide immediately as to how the period of suspension of the Appellant/Petitioner should be treated. If the decision is that it should be treated as the period spent on duty, the matter would end there with the Appellant/Petitioner, a retired officer, being eligible to the emoluments during that period as well. Let the requisite decision by the Respondent-University be taken and place before this Court within a period of three weeks. Post this matter on 04.04.2018. Issue copy to the parties. Sd/- (Thottathil B. Radhakrishnan) **Chief Justice** Sd/- (Sharad Kumar Gupta) **Judge**
Amit	

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,
E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक/1326 /सा.प्रशा./विधिक/2018 रायपुर, दिनांक 5 /04/2018

प्रति,

श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता,
C/O- श्री आर. पाण्डेय, पुष्पाजंली भवन,
महामाया विहार, वेयर हाउस रोड,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. ए. 558/2017 डॉ. बी.के. मेहता विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के संबंध में।

--00--

विषयान्तर्गत डॉ. बी.के. मेहता के प्रकरण कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.03.2018 के बिन्दु क्रमांक 04 पर रखा गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से अभिमत लेकर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आगामी बैठक दिनांक 20.04.2018 को आयोजित है।

अतः डॉ. बी.के. मेहता के उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरण पर विधिक अभिमत दिनांक 20.04.2018 के पूर्व देने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यपरिषद के समक्ष यह प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जा सके।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पृ. क्रमांक/ 1327 /सा.प्रशा./विधिक/2018 रायपुर, दिनांक 5 /04/2018

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,
E-mail – adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक /1068 /सा.प्रशा. /विधिक /2018 रायपुर, दिनांक 16 /03 /2018

प्रति,

श्री नीरज चौबे, अधिवक्ता,
C/O- श्री आर. पाण्डेय, पुष्पाजंली भवन,
महामाया विहार, वेयर हाउस रोड,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. ए. 558/2017 डॉ. बी.के. मेहता विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के संबंध में।**

––00––

विषयान्तर्गत डब्ल्यू. ए. 558/2017 डॉ. बी.के. मेहता विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 को 03 सप्ताह का समय देते हुये निर्णय पारित किया गया है, जिसकी समयावधि दिनांक 21.03.2018 को समाप्त हो रही है।

इस प्रकरण पर निर्णय हेतु नस्ती प्रक्रियाधीन है। अतः माननीय न्यायालय से पुनः समय लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने आपकी ओर पत्र प्रेषित की जा रही है।

आदेशानुसार

16/3/18

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पृ. क्रमांक /1069 /सा.प्रशा. /विधिक /2018 **रायपुर, दिनांक 16 /03 /2018**

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

नस्ती क्रमांक .... पृष्ठ क्रमांक (14)

प्रभारी अधिकारी श्री .... शाखा .... प्रभारी लिपिक ....

विषय :-

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में लंबित प्रकरण क्रमांक WA 558/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 के द्वारा डॉ. बी.के. मेहता के प्रकरण पर 3 सप्ताह में निर्णय लेने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 21.03.2018 को समाप्त हो रही थी, जिससे माननीय न्यायालय से और समय लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी सुनवाई तिथि 04.04.2018 नियत थी। जिसे आगामी तिथि 25.04.2018 को नियत है। नियत तिथि के पूर्व उक्त प्रकरण पर निर्णय हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत।

5/4/2018

कक्ष अधिकारी (सा.प्रशा)

05/04/2018

S.O.

5/4/18

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय : डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को धारणाधिकार स्वीकृति संबंध में।

डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ राजभवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1–5/2017/रास/यू.–13 दिनांक 28/03/2018 के द्वारा दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप धारणाधिकार की मांग की गई है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग–2 की कंडिका 11 का उद्धारण निम्नानुसार है:–

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another post. acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one"

डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति के पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1276/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा इन्हें दिनांक 02.04.2018 पूर्वाह्न से कार्यमुक्त करते हुए, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1278/स्था./सा.प्रशा./2018 दिनांक 02.04.2018 के द्वारा दिनांक 02.04.2018 से 05 वर्ष के लिये धारणाधिकार स्वीकृत किया गया है।

अतः डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को कुलपति पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 02.04.2018 पूर्वाह्न से भारमुक्त किये जाने की सूचना एवं दिनांक 02.04.2018 से 05 वर्ष के लिये प्रोफेसर, फार्मेसी के पद पर स्वीकृत धारणाधिकार के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

F:/Sahu /Letter 2018/127

श्रीमती प्रमिला गोकुलदास कन्या महाविद्यालय, रायपुर में नियमित प्राचार्य नही होने के कारण महाविद्यालय प्रबंधन समिति ने पूर्व में श्री डी.के. दुबे को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था।

प्रबंधन समिति उपरोक्त निर्णय में परिवर्तन करते हुये महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. संगीता घई को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया। प्रभारी प्राचार्य को लेकर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन समिति के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्राचार्य की नियुक्ति नही होने एवं आपसी विवाद के कारण विश्वविद्यालय परीक्षा प्रभावित होने की आशंका से कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 09.03.2018 को आहूत कर विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया एवं परीक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर में संचालित हो रही है।

प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति पर विवाद की स्थिति में पूर्व प्रभारी प्राचार्य श्री डी.के. दुबे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में याचिका दायर किया गया है। याचिका के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अविलंब नियमित प्राचार्य की नियुक्ति किये जाने के लिये निर्देश दिये है एवं विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग के लिये निर्देशित किया गया।

विश्वविद्यालय में उपरोक्त निर्णय को संज्ञान में लेते हुये महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति हेतु पत्र लिखा गया। जिसके फलस्वरूप महाविद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा प्राचार्य की नियुक्ति हेतु अलग–अलग विज्ञापन जारी किया गया।

उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के द्वारा प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध 14 आवेदन पत्रों की सूची बिना परीक्षण के विश्वविद्यालय में प्रेषित किया गया एवं पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया एवं एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर सूची पुनः उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जो आज तक अप्राप्त है।

महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य ने प्रबंधन समिति को समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों का शासी निकाय के द्वारा परीक्षण हेतु निवेदन किया है। विश्वविद्यालय ने प्राचार्य की नियुक्ति हेतु 03 स्मरण पत्र दिया गया है। परन्तु अभी तक महाविद्यालय के द्वारा ठोस कार्यवाही नही की जा रही है।

यह प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत।

कार्यालयीन टीप

विषय : डॉ. मेघा अग्रवाल की सेवा समाप्ति के प्रकरण में ट्रिब्यूनल द्वारा जाँच प्रतिवेदन/बंद लिफाफा पर विचार करना।

***

डॉ. मेघा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर में वि.वि. परिनियम 28 के अंतर्गत दिनांक 11.02.2013 से कार्यरत थी। वि.वि. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.07.2017 को डॉ. मेघा अग्रवाल की सेवा समाप्ति के शासी निकाय के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

महाविद्यालय द्वारा सेवा समाप्ति के निर्णय के विरूद्ध डॉ. मेघा अग्रवाल द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने निर्देश दिया कि प्रकरण के निराकरण हेतु वि.वि. परिनियम 28 के अंतर्गत वि.वि. ट्रिब्यूनल में अपील करें एवं ट्रिब्यूनल के निर्णय से असंतुष्ट होने पर पुनः न्यायालय में याचिका दायर करें।

महाविद्यालय के निर्णय के विरूद्ध डॉ. मेघा अग्रवाल द्वारा वि.वि. में दिनांक 04.12.2017 को ट्रिब्यूनल के द्वारा निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। वि.वि. परिनियम 28(32)(3)(i) के अंतर्गत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष प्रो. शैलेन्द्र सराफ द्वारा जाँच प्रतिवेदन, बंद लिफाफा मे मान. कार्यपरिषद् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— अंकेक्षण प्रतिवेदन श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त कर्मचारी के प्रकरण पर।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 07/07/2017 के विषय क्र.19 पर लिये गये निर्णय अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विशेष आडिट का कार्य कराया गया है।

उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा पत्र कमांक/डी.डी.एल.ए.आर. /प्रति–1 गोप/4389 रायपुर, दिनांक 24/03/2018 के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक बुक तैयार कर इस विश्वविद्यालय को प्रेषित किया है।

विशेष अंकेक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कुल पृष्ठ क्र.01 से 39 तक है, जिसमें उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर द्वारा पृष्ठ क्र.37,38 एवं 39 में अपना अभिमत प्रस्तुत किया गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्य परिषद के अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

12-4-18 DR (Exr.)

12/4/18

d:\dev\e.c 2017.docx

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग–एक

1. वर्तमान अंकेक्षण तिथि	–	दिनांक 22.09.17 से 08.01.18
2. लेखा वर्ष	–	2008–09 से 2011–12
3. निकाय के पदाधिकारी	–	
(अ) माननीय कुलपति	–	(1) डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी दिनांक 01.08.2008 से 01.03.2009 तक (2) डॉ. शिवकुमार पाण्डेय दिनांक 02/03/2009 से 31/03/2012 पर्यन्त
(ब) कुलसचिव	–	(1) डॉ. इन्दु अनंत दिनांक 01/04/2008 से 01/05/2010 (2) श्री के.के. चंद्राकर दिनांक 02/05/2010 से 31/03/2012 पर्यन्त
4. ज्येष्ठ सम्परीक्षक	–	आर. एस. गेहलोत
5. सहायक संपरीक्षक	–	बी.एस. तोमर
6. सहायक संचालक	–	श्री टी.आर. ठाकुर
7. प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या	–	39
संलग्न सत्यापित पृष्ठों की संख्या	–	140
कुल पृष्ठों की संख्या	–	179

प्रस्तावना एवं भूमिका:–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 2 (ज) एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 के नियम 16 के अंतर्गत कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर के कार्यालयीन पत्र कमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति–1/1903 रायपुर दिनांक – 08.09.17 के निर्देशानुसार निम्नांकित प्रकरण के संबंध में विशेष संपरीक्षा संपादित की गयी –

"पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अर्थवर्ष 2009–10की आपत्ति क्रमांक 04 "श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के गबन प्रकरण के संबंध में विशेष अंकेक्षण"

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर अर्थवर्ष 2009–10 की कण्डिका कमांक 04 "प्रभक्षण वसूली योग्य राशि रू. 30,13,370.00 को आधार मान कर विशेष संपरीक्षा किया गया ।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त संपरीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ.ग.) के पत्र कमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति/3276 रायपुर दिनांक 30.11.2015 को प्रसारित किया गया । जबकि श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के आदेश कमांक 524/सा.प्रशा./2015 रायपुर दिनांक 12.02.2015 को विश्वविद्यालय की सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा चुका था ।

कार्यालय पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 2704/सा.प्रशा./2012 दिनांक 19.07.2012 के आदेशानुसार संस्थित विभागीय जांच उपरांत प्राप्त जांच रिपोर्ट में उन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित सिद्व पाये गये तथा रू. 30,13,370.00 का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया । डॉ.जे.एल.गगवानी, जांच अधिकारी/उपकुल सचिव (प्रशासन) द्वारा विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 को प्रस्तुत किया गया जिसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के साथ पृष्ठ **कमांक 01 से 31** में प्रमाण स्वरूप संलग्न है । श्री जानकी प्रसाद शर्मा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उन्होने जवाब में आरोपो को अस्वीकार किया । विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा श्री शर्मा के जवाब से असहमत होते हुए विभागीय जाच में प्रमाणित आरोपो के फलस्वरूप उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम–31 की कण्डिका 57 (1) (ल) के तहत विश्वविद्यालय की सेवा से श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक को आदेश दिनांक 12.02.2015 से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया । सुलभ संदर्भ हेतु आदेश कमाक 524 दिनांक 12.02.2015 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 32** पर संलग्न है ।

राशि रू. 30,13,370.00 के प्रभक्षण की विभागीय जांच अर्थवर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 कुल 04 वर्षो की विकास विभाग द्वारा 14 मदो के मूल्य धारित विश्वविद्यालय की विवरण पत्रिका, परीक्षा फार्म एवं अन्य प्रपत्र एवं फार्मो के प्रारंभिक स्कंध, वितरण की प्रविष्टियां, विकय संख्या, विकय दर आदि के संबंध में जांच की गयी है ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3540/सा.प्रशा./2009 रायपुर दिनांक 27.07.2009 के द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक को कार्यरत विभाग परीक्षा विभाग से विकास विभाग में स्थानांतरित किया जाना पाया गया । पत्र की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 33** पर संलग्न है ।

विशेष अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के अपूर्ण स्टॉक/वितरण पंजी, प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती, विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 पृष्ठ 31 एवं रसीद पन्नों की द्वितीय प्रतियों के आधार पर निम्नानुसार विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत है–

(01) 1142 नग विवरण पत्रिकाओं की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित विवरण पत्रिका के स्टॉक पंजी, वितरण पंजी दिनांक 12.06.08 से 17.02.12 तक विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पायें गये–

1– स्टॉक पंजी विधिवत संधारित नहीं की गयी है । प्राप्त सामग्री की इन्द्राज प्राप्ति एवं वितरण दोनो तरफ प्राप्ति इन्द्राज दर्ज किया गया है जबकि सामग्री का वितरण या उपयोग नही बताया गया है ।

2– विवरण पत्रिका वितरण पंजी सत्यापित नही पायी गयी ।

3– वितरण पंजी में अत्यधिक काट–छांट होना पाया गया ।

4– **वर्ष 2008–09** में आदेश क्रमांक 1230/विकास/08, दिनांक 07.05.08 द्वारा विवरण पत्रिका छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रण कराया गया । छत्तीसगढ़ संवाद के देयक क्रमांक 046 दिनांक 29.06.09 द्वारा हिन्दी पत्रिका 2970 नग एवं अंग्रेजी पत्रिका 995 नग कुल 3965 नग राशि रू. 1,31,763.00 का बिल प्रस्तुत कर विवरण पत्रिका की पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 पृष्ठ क्रमांक 101 में प्रविष्टि की गयी है । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्य अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर पाये गये । स्टॉक पंजी में प्रविष्टि पश्चात वर्ष 2008–09 के वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 29 मे विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर हैं । 3965 नग प्राप्त दर्ज कर पृष्ठ क्रमांक 30 से 34 तक दिनांक 12.06.08 से 13.04.09 तक कुल 3888 नग विक्रय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । शेष 77 नग फार्म रद्दी में विक्रय बताया गया है । इससे संबंधित नोटशीट दिनांक 11.02.10 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन की **पृष्ठ क्रमांक 34** पर संलग्न है । रद्दी में विक्रय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

5– **वर्ष 2009–10 में 1141 नग विवरण पत्रिकाओं की कमी–** आदेश क्रमांक 1583/विकास/09 दिनांक 02.06.09 द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद से विवरण पत्रिका मुद्रण कराया गया । संवाद का देयक क्रमांक 078 दिनांक 21.07.09 द्वारा हिन्दी विवरण पत्रिका 3494 नग तथा अंग्रेजी विवरण पत्रिका 1500 नग इस प्रकार कुल 4994 नग विवरण पत्रिका राशि रू. 1,20,157.00 का बिल प्रस्तुत कर पत्रिका पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 के पृष्ठ क्रमांक 101 में प्रविष्टि की गयी । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ क्रमांक 41 में

4994 नग दर्ज परन्तु विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 42 से 47 तक दिनांक 15.06.09 से 27.04.10 तक कुल 3732 नग विक्रय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । विवरण पत्रिका के स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी में न तो योग लगाया गया है, न शेष विवरण पत्रिका की संख्या का उल्लेख पाया गया है । परंतु विभागीय निरीक्षण जांच की नस्ती पृष्ठ कमांक 11 पर विवरण पत्रिका दिनांक 05.03.12 की स्थिति में वर्ष 2009–10 में भण्डार मिलान करने पर 121 नग शेष का उल्लेख पाया गया । जिसकी सत्यापित फोटाप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 35** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर अंकित है ।

इस प्रकार विवरण पत्रिका कुल प्राप्त 4994 (स्टॉक पंजी पृष्ठ 101 एवं वितरण पंजी पृष्ट 41 अनुसार) एवं वितरण 3732 नग पश्चात वास्तविक अवशेष 1262 नग विवरण पत्रिका शेष होना चाहिये । दिनांक 05.03.12 की स्थिति मे मात्र 121 नग शेष का उल्लेख निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 11 पर पाये जाने के कारण 1262–121=1141 नग विवरण पत्रिका भण्डार में कम होना पाया गया ।

6– **वर्ष 2010–11 में 20 नग विवरण पत्रिका अतिरिक्त पाये गये:–** विवरण पत्रिका मुद्रण आदेश नही पाये गये, न ही स्टॉक पंजी में प्रविष्टि पायी गयी । विवरण पत्रिका वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 में विवरण पत्रिका प्राप्ति का तीन बार विवरण अंकित किया गया है । इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती । इस संबंध में निरीक्षण जांच के दस्तावेज नस्ती के पृष्ठ कमांक 17 से 21 तक (जिसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 36 से 41** में संलग्न है।) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा से जानकारी ली गयी जिसमें संवाद के माध्यम से शारदा आफसेट पचपेडी नाका रायपुर से मुद्रण कराया जाना एवं देयक अप्राप्त है, श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 में निम्न अनुसार विवरण पत्रिका प्राप्ति का विवरण दर्ज है जिसमें जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर अंकित है –

बिल कमांक / दिनांक	हिन्दी की विवरण पत्रिका	अंग्रेजी की विवरण पत्रिका	योग
60 / 05.06.2010	100	100	200
60 / 11.06.10	500	450	950
64 / 10.06.10	250	200	450
66 / 14.06.10	1500	600	2100
योग:–	**2350**	**1350**	**3700**

कुल मुद्रित विवरण पत्रिका 3700 नग दर्ज है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 51 से 58 तक दिनांक 07.06.10 से 16.03.11 तक कुल 3691 नग विक्रय एवं कार्यालयीन उपयोग होना पाया गया । इस प्रकार भण्डार में 09 विवरण पत्रिका शेष होना था । विवरण पत्रिका स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी में न तो योग लगाया गया है, न शेष विवरण पत्रिका की संख्या का उल्लेख है । परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 11 पर विवरण पत्रिका दिनांक 05.03.12 की स्थिति में भण्डार

मिलान करने पर 29 नग शेष का उल्लेख पाया गया । सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 42** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा एवं श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया । इस प्रकार 9–29 = 20 अतिरिक्त विवरण पत्रिका के संबंध में निरीक्षण जांच नस्ती के नोटशीट पेज कमांक 07 एवं 08 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा से जानकारी ली गयी किंतु इस संबंध में उनके द्वारा कोई वास्तविक स्थिति नही बतायी गयी । नोटशीट की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 43 एवं 44** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

7– वर्ष 2011–12 में 01 नग विवरण पत्रिका की कमी – आदेश कमांक 397/विकास/2011 दिनांक 02.05.11 द्वारा विवरण पत्रिका छत्तीसगढ़ संवाद से मुद्रण कराया गया । संवाद का देयक कमांक 383 दिनांक 17.01.12 द्वारा हिन्दी पत्रिका 3000 नग एवं अंग्रेजी पत्रिका 2000 नग कुल 5000 नग राशि रू. 1,85,912.00 का बिल प्रस्तुत कर विवरण पत्रिका पूर्ति की गयी जिसे स्टॉक पंजी सी.ए –01 के पृष्ठ कमांक 102 में दर्ज किया गया है । पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास विभाग) का हस्ताक्षर पाया गया । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 59 में 5000 नग विवरण पत्रिका दर्ज है किंतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 60 से 63 दिनांक 28.05.11 से 17.02.12 तक कुल 3927 नग विवरण पत्रिका विकय एवं कार्यालयीन उपयोग में पाया गया । इस प्रकार (5000–3927) = 1073 नग विवरण पत्रिका भण्डार में शेष होना चाहिये परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न ही अंतिम शेष निकाले गये हैं । निरीक्षण जांच नस्ती एवं भण्डार मिलान लेखा में 1072 नग विवरण पत्रिका शेष पाया गया । जिसका सत्यापन निरीक्षण जांच नस्ती के भण्डार मिलान में पेज कमांक 26 एवं 27 में उल्लेख पाया गया । जिसकी छायाप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 45 एवं 46** पर संलग्न है । इस प्रकार (1073–1072) = 01 नग विवरण पत्रिका भण्डार में कम होना प्रमाणित हुआ ।

उपरोक्तानुसार बिन्दु कमांक 01 से 07 तक दर्शित स्थिति अनुसार स्टॉक पंजी के विधिवत संधारण एवं सत्यापन के साथ–साथ वर्ष 2008–09 में 77 नग विवरण पत्रिकाओं के रद्दी में विकय संबंधी अभिलेख, वर्ष 09–10 में 1141 नग एवं वर्ष 11–12 में 01 नग, इस प्रकार कुल 1142 नग विवरण पत्रिकाओं की कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(02) <u>डुप्लीकेट अंकसूची फार्म (जून 08 से मई 11 तक)</u> वसूली निरंक :–

डुप्लीकेट अंकसूची फार्म मुद्रण संख्या 17050 एवं वितरण संख्या 9435 बचत संख्या 7615 भण्डार में शेष पाये जाने के कारण वसूली योग्य राशि निरंक है ।

(3) 3383 नग पुनर्मूल्यांकन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पुनर्मूल्यांकन फार्म स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी दिनांक 12.06.09 से 15.02.12 तक विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पाये गये–

(1) पुनर्मूल्यांकन फार्म वितरण पंजी सत्यापित नहीं पायी गयी । सत्यापन अपेक्षित है ।

(2) वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना पाया गया ।

(अ) **वर्ष 2009 में 408 फार्म रद्दी में विक्रयः–** स्वास्तिक प्रिंटरी भागड़ापारा रायपुर के देयक कमांक 1567 दिनांक 15.06.09 द्वारा 20000 पुर्नमूल्यांकन फार्म विश्वविद्यालय को प्रदाय किया गया । जिसे स्टॉक पंजी सी.ए.–01 पृष्ठ कमांक 41 में दर्ज होना पाया गया । जिसमें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी विकास विभाग के हस्ताक्षर अंकित पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 13 में पुर्नमूल्यांकन फार्म 20000 नग की प्राप्ति दर्ज किया गया है । जिसमें योगेश सोनटेके सहायक ग्रेड–2 का हस्ताक्षर दिनांक 15.06.09 को दर्ज है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 14 से 17 तक दिनांक 12.06.09 से 10.03.10 तक कुल 19592 पुर्नमूल्यांकन फार्म विकय किया जाना पाया गया । जिसकी राशि समय–समय पर रसीद द्वारा जमा होना पाया गया । अंकेक्षण में रसीद से जमा राशि का मिलान किया गया । भण्डार में प्राप्त फार्म 20000 के विरूद्व विकय फार्म 19592 के पश्चात् भण्डार में 408 पुर्नमूल्यांकन फार्म शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाला गया है । निरीक्षण जांच में पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में दिनांक 15.0312 को निरंक पाया गया । नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 47 एवं 48** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 40 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 408 नग सक्षम स्वीकृति पश्चात रद्दी के रूप में विकय किये जाने का उल्लेख पाया गया । रद्दी के रूप में विकय की अनुमति नोटशीट की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 34** पर संलग्न है । रद्दी में विकय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

(ब) **वर्ष 2010 में 2361 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में कम पाये गये** :–

वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ संवाद के बिल कमांक 398 दिनांक 20.05.10 को पुर्नमूल्यांकन फार्म 10,000 नग तथा बिल कमांक 404 दिनांक 28.05.10 से 15,000 नग कुल 25,000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की पूर्ति होना पाया गया जिसे स्टॉक पंजी में सी.ए.–01 पृष्ठ कमांक 42 में दर्ज किया गया है । स्टॉक पंजी में श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर दिनांक 06.03.12 अंकित है । नोटशीट दिनांक 06.05.10 में ली गयी स्वीकृति अनुसार रेसोग्राफी मशीन से 5000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की प्रतियां निकाली गयी ।नोटशीट की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 49** में अवलोकनार्थ संलग्न है । इस प्रकार स्टॉक में (25000+5000) = 30,000 नग फार्म भण्डार में प्रारंभिक शेष रहा । रेसोग्राफी मशीन से निकाली गयी 5000 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म की प्रतियों की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में नहीं पायी गयी । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 से 53 दिनांक 17.05.10 से 11.12.10 तक कुल 23,391 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म वितरण एवं कार्यालयीन उपयोग की प्रविष्टियां पायी गयी । भण्डार में वास्तविक प्रारंभिक स्टॉक 30,000 एवं वितरण फार्म 23,391 के पश्चात 6609 पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाला गया है । नस्ती के

पृष्ठ कमांक 48 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 4221 नग तथा पृष्ठ कमांक 53 पर पुनर्मूल्यांकन फार्म 27 नग भण्डार में वापसी दर्शाये जाने के कारण बचत फार्म संख्या (4221+27) = 4248 होती है । नस्ती के पृष्ठ कमांक 42, 46, 48 एवं 53 अनुसार भण्डार में 4248 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म शेष का सत्यापन होना पाया गया । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 50 से 56** में संलग्न है ।) वास्तविक भण्डार में शेष पुर्नमूल्यांकन फार्म 6609 के विरूद्ध सत्यापन में मात्र 4248 नग शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म की संख्या (6609–4248) = 2361 नग पुर्नमूल्यांकन फार्म भण्डार में कम होना पाये गये ।

(स) **वर्ष 2011 में 1022 नग पुनर्मूल्यांकन फार्म भण्डार में कम पाये गये**:– वर्ष 2011 में कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के पत्र कमांक 19/विकास/2011 दिनांक 23.06.11 द्वारा 20,000 नग तथा पत्र कमांक 409/विकास/2011 दिनांक 11.05.11 द्वारा 40,000 नग फार्म, इस प्रकार कुल पुनर्मूल्यांकन फार्म 60,000 नग मेसर्स ओसवाल डाटा इंदौर से मुद्रण कराया जाना पाया गया जिसे स्टॉक पंजी में इन्द्राज होना नही पाया गया । पुर्नमूल्यांकन फार्म वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 55 में दर्ज होना पाया गया । परन्तु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 56 से 60 तक दिनांक 14.06.11 से 15.02.12 तक कुल 26,828 फार्म वितरण होना पाया गया । भण्डार में (60000–26828) = 33,172 पुनर्मूल्यांकन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये। परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न तो शेष निकाले गये है । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 55,61,63 पर भण्डार मे शेष फार्म की संख्या सत्यापन में 32,150 दर्शाया गया है । सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 57 से 59** पर संलग्न है । वास्तव में पुनर्मूल्यांकन फार्म 33,172 शेष होना चाहिये । परन्तु सत्यापन में मात्र 32,150 शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म की संख्या (33,172–32150) = 1022 फार्म की कमी पायी गयी ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित स्थिति अनुसार 408 पुनर्मूल्यांकन फार्म रद्दी में विकय संबंधी अभिलेख, बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 2361 नग, बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 1022 नग, इस प्रकार कुल 3383 पुनर्मूल्यांकन फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(4) <u>1539 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण</u>:–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पुर्नगणना फार्म वितरण पंजी के पेज नंबर 49 से 74 दिनांक 15.06.09 से 10.04.12 तक एवं पृथक वितरण पंजी (डिग्री,माइग्रेशन,डुप्लीकेट,पात्रता आवेदन फार्म एवं पुर्नगणना वितरण पंजी) पृष्ठ कमांक 86 दिनांक 01.12.09 से 17.05.10 तक की विशेष संपरीक्षा के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पाये गये–

(अ) **वर्ष 2009 में 1231 फार्म रद्दी में विक्रय –**

1. स्टॉक पंजी विधिवत संधारित नही की गयी है । सामग्री की प्राप्ति स्कंध पंजी में दोनो तरफ की गयी है । सामग्री वितरण तथा उपयोग की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में नही की गयी है । अपितु वितरण पंजी में की गयी है ।

2. वितरण पंजी सत्यापित नही पायी गयी ।

3. वितरण पंजी में अत्यधिक कांट–छांट होना पाया गया ।

4. वर्ष 2009 में मे. स्वास्तिक प्रिंटरी मांगड़ापारा रायपुर के देयक कमांक 1567 दिनांक 15.06.09 से 5000 नग पुर्नगणना आवेदन फार्म मुद्रण कराया गया जिसे स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ कमांक 41 में दर्ज किया गया है । स्टॉक पंजी में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये । स्टॉक प्रविष्टि पश्चात वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 48 दिनांक 15.06.09 में प्रविष्टि किया गया है । वितरण पंजी में श्री योगेश सोनटेके, सहायक ग्रेड–2 का हस्ताक्षर दिनांक 15.06.09 दर्ज है ।

5. वितरण पंजी के पेज कमांक 49 तथा पृथक वितरण पंजी के पेज नंबर 86 में दिनांक 15.06.09 से 17.05.10 तक 3532 नग फार्म का वितरण एवं विक्रय होना पाया गया । इसके अतिरिक्त 230 नग फार्म की राशि (श्रीमती प्रतिमा पटनायक द्वारा रसीद कमांक 79/2572 दिनांक 16.06.09 राशि रू. 2300.00 वि.वि. निधि में जमा होना पाया गया) इस प्रकार 3532+230 = 3762 नग फार्म का वितरण एवं विक्रय होना पाया गया। प्रारंभिक शेष 5000 नग फार्म में से 3762 नग फार्म विक्रय होने के पश्चात 1238 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है , न ही शेष निकाला गया है । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 69 (इसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 60** पर संलग्न है) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा पुर्नगणना फार्म 07 नग शेष होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 04.04.12 को हस्ताक्षर किया गया है । अब स्थिति यह बनती है कि बचत पुनर्गणना फार्म 1238–7 = 1231 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में शेष एवं रद्दी में विक्रय संबंधी प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 68 एवं 70 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 61 से 62** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । इस प्रकार 1231 नग फार्म रद्दी में विक्रय होना निरीक्षण जांच नस्ती में बताया गया है । रद्दी में विक्रय होने संबंधी अन्य प्रमाण अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराये गये ।

(ब) **वर्ष 2010 में 944 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमीः**– वर्ष 2010 में छ.ग. संवाद के बिल कमांक 398 दिनांक 20.05.10 द्वारा 5000 नग पुनर्गणना फार्म मुद्रण कराया गया । स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ कमांक 42 में इन्द्राज कर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी में प्राप्ति प्रविष्टि नही किया गया है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 70 दिनांक 18.05.10 से पृष्ठ कमांक 71 दिनांक 03.12.10 तक 3776 नग वितरण/विकय किया जाना पाया गया । इस प्रकार कुल फार्म 5000–3776 नग वितरण पश्चात 1224 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाला गया है । किंतु निरीक्षण जांच नस्ती पृष्ट कमांक 73 में वर्ष 2010 का पुनर्गणना फार्म दिनांक 20.03.12 की स्थिति में 280 फार्म भण्डार में शेष होने का उल्लेख है । (इसकी सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 63** में संलग्न है) इस पर श्री योगेश सोनटेके एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर अंकित पाये गये । अतः 1224 फार्म के स्थान पर मात्र 280 फार्म भण्डार में शेष पाये जाने के कारण (1224–280) = 944 फार्म कम पाये गये।

(स) **वर्ष 2011 में 595 नग पुनर्गणना फार्म कम पाये गयेः**– वर्ष 2011 में आशीष स्टेशनरी मार्ट रायपुर से बिल कमांक 913 दिनांक 17.06.11 द्वारा 15500 पुनर्गणना फार्म तथा बिल कमांक 905 दिनांक 10.06.11 से 4500 पुनर्गणना फार्म कुल 20000 फार्म मुद्रण कराया जाना पाया गया । जिसे स्टॉक पंजी सीए–01 पृष्ठ कमांक 42 में इन्द्राज किया गया है । जिसमें विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) के हस्ताक्षर पाये गये है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 72 में प्राप्ति दर्ज किया जाकर बिल चस्पा किया गया है । जिसमें श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर दिनांक 10.06.11 एवं 17.06.11 अंकित है । वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 73 से 74 दिनांक 10.06.11 से 10.04.12 तक एवं पृष्ठ कमांक 56 से 59 दिनांक 14.06.11 से 06.08.11 तक में कुल 992 फार्म विकय होना पाया गया । विभिन्न रसीदों की जमा राशि का मिलान किया गया । (पंजी में दर्ज 992 फार्म विकय तथा श्री रामखिलावन साहू को दिनांक – 10.06.11 को 500 नग फार्म एवं 20.06.11 को 1000 नग फार्म की राशि रसीद कमांक 32/3470 दिनांक 09.01.12 द्वारा राशि जमा सहित , इस प्रकार 992 + 500 +1000 = 2492 फार्म विकय होना एवं राशि जमा होना पाया गया ।) प्रारंभिक शेष 20000 में से 2492 फार्म विकय उपरांत 17508 फार्म भण्डार में शेष होने चाहियें । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये है, न शेष निकाले गये है । प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 76 पर दिनांक 24.01.12 को श्री जानकी प्रसाद शर्मा निम्न वर्ग लिपिक की उपस्थिति में पुनर्गणना फार्म 16913 नग भण्डार में रखा जाने का उल्लेख पाया गया जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक, श्री योगेश सोनटेके, श्री शिवलोचन नेताम, श्री सी.जांगड़े एवं अन्य के हस्ताक्षर पाये गये । सुलभ संदर्भ हेतु पृष्ठ कमांक 27 की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 46** पर संलग्न है । पुनर्गणना फार्म 20000 में से 2492 फार्म विकय उपरांत 17508 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये परन्तु 16913 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में शेष पाये जाने के कारण अंतर फार्म संख्या 595 नग पुनर्गणना फार्म भण्डार में कम पाये गये ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित स्थिति अनुसार 1231 नग पुनर्गणना फार्म रद्दी में विकय संबंधी अभिलेख, बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 944 नग फार्म बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 595 नग फार्म, इस प्रकार कुल 1539 नग पुनर्गणना फार्म की भण्डार में कमी पाई गई । इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(5) 36 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित संबद्वता फार्म वितरण की दो पंजी संपरीक्षा में प्रस्तुत की गयी । प्रथम वितरण पंजी पेज नंबर 12 से 15 दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 तक । द्वितीय पंजी पेज नंबर 01 से 12 तक दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 तक । वितरण पंजी परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए--

1. दोनो पंजी कार्यालय द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया ।
2. **10 नग संबद्वता फार्म की भण्डार में कमी (दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 की स्थिति में)** – संबद्वता फार्म की प्रथम वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 12 पर चस्पा नोटशीट में 100 नग संबद्वता आवेदन फार्म विकास विभाग के रेसोग्राफ मशीन से मुद्रण की स्वीकृति दिनांक 09.06.08 को कुल सचिव द्वारा प्रदान किया जाना पाया गया । परन्तु 100 नग फार्म के स्थान पर 104 नग फार्म की प्रतियां निकाला जाकर वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 12 पर दर्ज होना पाया गया । इस प्रविष्टि के समर्थन में किसी भी कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । दिनांक 10.06.08 से 09.09.09 तक वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 12 से 15 तक संबद्वता फार्म विकय की प्रविष्टि एवं समर्थन में रसीद बुक कमांक एवं दिनांक अंकित पाया गया । रसीदो से प्राप्त राशि का मिलान किया एवं सही पाया गया । कुल 94 नग संबद्वता फार्म प्रत्येक फार्म की कीमत रू. 150 की दर से 14100.00 विश्वविद्यालय निधि में जमा होना पाया गया । दिनांक 09.09.09 वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 15 अनुसार रेसोग्राफ किये गये 104 फार्म में से 94 फार्म विकय उपरांत बचत फार्म संख्या 10 नग वितरण पंजी में दर्ज है । परन्तु भण्डार में शेष पाया गया अथवा नहीं, इसका सत्यापन होना नही पाया गया । इस बचत फार्म 10 नग को आगामी वितरण पंजी में हस्तांतरित किया जाना भी नही पाया गया । इस प्रकार 10 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी पायी गयी ।
3. **26 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी (दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 की स्थिति में)** – विकास विभाग स्टॉक रजिस्टर सीए–01 के पृष्ठ कमांक 150 पर छ.ग. संवाद छोटापारा रायपुर के बिल कमांक 159 दिनांक 07.10.09 द्वारा मुद्रित 1000 नग सबद्वता फार्म की प्रविष्टि दर्ज पायी गयी । संबद्वता फार्म वितरण पंजी पृष्ट कमांक 01 से 12 दिनांक 22.09.09 से 08.11.10 तक कुल 155 नग संबद्वता फार्म प्रत्येक फार्म 500 रू. की दर से विकय होना पाया गया । फार्म वितरण की प्रविष्टियां बेतरतीब पायी गयी, कमानुसार नही पायी गयी । वितरण पंजी में दर्ज विभिन्न जमा राशि का मिलान किया गया । इस प्रकार 1000 नग संबद्वता फार्म में से 155 नग वितरण उपरांत 845 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी के न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाले गये है । इस अवधि में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि. द्वारा पंजी संधारण किया जाना पाया गया । पंजी के पृष्ठ कमांक 12 पर अंतिम प्रविष्टि उपरांत श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर पाये गये । वितरण पंजी में संबद्वता फार्म के शेष नही निकाले जाने के कारण प्रारंभिक जांच के दौरान श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा पृथक से एक प्लेन पेज में भण्डार में शेष संबद्वता फार्म का विवरण कमांक सहित अंकित कर कुल 819 नग फार्म शेष अंकित कर हस्ताक्षर किया गया ।

इस पृष्ठ पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक एवं श्री योगेश सोनटेके, के हस्ताक्षर पाये गये । यह पृष्ठ निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 92 में संलग्न है । सुलभ संदर्भ हेतु सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 64** पर संलग्न है ।

इस प्रकार 1000 नग संबद्वता फार्म के विरूद्व 155 नग वितरण उपरांत 845 नग फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु निरीक्षण जांच के सत्यापन में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा दिये गये विवरण अनुसार मात्र 819 नग फार्म शेष होना पाया गया । 845–819 = 26 नग फार्म भण्डार में कम पाया जाना प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार पंजी का प्रमाणीकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार 10 नग फार्म एवं बिन्दु कमांक (3) में दर्शित अनुसार 26 नग फार्म, इस प्रकार (10+26) = 36 नग सम्बद्वता फार्म की भण्डार में कमी पायी गयी । इसके संबध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(6) 1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित अंकेक्षण में प्रस्तुत डिग्री फार्म वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 53 एवं 56 तक दिनांक 05.06.08 से 16.11.09 तक एव द्वितीय वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 36 से 40 दिनांक 23.11.09 से 30.08.11, पृष्ठ क्रमांक 30 से 31 दिनांक 09.09.11 से 10.04.12 तक का परीक्षण किया गया । जिसमें निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये–

1. डिग्री फार्म की द्वितीय फार्म प्रदाय पंजी किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पायी गयी । प्रमाणीकरण अपेक्षित है ।
2. डिग्री फार्म वितरण पंजी में दर्शित मुद्रित कॉलम के अनुसार प्रविष्टियां होना नही पाया गया । उदाहरण के तौर पर पंजी के प्रत्येक पृष्ठ में दो पक्ष है । प्रथम पक्ष में प्राप्त की गयी सामग्री का विवरण कॉलम कमांक 01 से 08 तक तथा द्वितीय पक्ष में प्रदाय की गयी सामग्री का विवरण कॉलम कमांक 01 से 07 तक अंकित है परन्तु निर्धारित कॉलम अनुसार प्रविष्टि न की जाकर दोनों पक्षो मे सामग्री वितरण की प्रविष्टियां दर्शायी गयी है । न तो फार्म आवक की व्यवस्थित प्रविष्टि पायी गयी, न वितरण की प्रविष्टि व्यवस्थित पायी गयी । वितरण फार्म के योग भी नहीं लगाये गये हैं । बचत फार्म की संख्या भी विशेष संपरीक्षा अवधि के वर्ष 2008–09 से 2011–12 में निकाला जाना नही पाया गया ।

3. **1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी** –दिनांक 05.06.08 से दिनांक 10.04.12 की अवधि में प्राप्त किये गये डिग्री फार्मो की प्रविष्टियां पूर्ण रूप से वितरण पंजी में दर्ज नही होने के कारण पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय विभाग द्वारा समय–समय पर विकास विभाग को प्रदाय किये गये डिग्री फार्म का परीक्षण मुद्रणालय की जावक पंजी से करने पर निम्नानुसार स्थिति प्रकाश में आई–

प.र.वि.वि. के मुद्रणालय का जावक पंजी पृष्ठ कमाक	दिनांक	विकास विभाग के स्टॉक/वितरण पंजी का पेज नंबर	मुद्रणालय से फार्म प्राप्तकर्ता कर्मचारी का नाम जिसका हस्ताक्षर पाया गया	डिग्रीफार्म का विवरण	डिग्रीफार्म की कुल संख्या
22	05.06.08	53	श्री योगेश सोनटेके	01 से 10000 तक	10000
33	16.01.09	54	श्री प्रदीप यादव	01 से 4400 तक	4400
35	05.05.09	55	हस्ताक्षर अस्पष्ट	4401 से 4466 = 66 4471 से 4800 = 330	396
36	15.05.09	55	हस्ताक्षर अस्पष्ट	4801 से 10000	5200
41	29.08.09	55	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	01 से 5000 तक	5000
44	20.11.09	प्रविष्टि नहीं	श्री शिवलोचन नेताम	5001 से 10000 तक	5000
52	07.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	10001 से 12000	2000
53	23.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	12001 से 40000	28000
63	30.11.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	40001 से 50200	10200
69	01.06.11	प्रविष्टि नहीं	श्री योगेश सोनटेके	50201 से 70600	20400
				योग:–	**90596**

डिग्री फार्म वितरण पंजी में मात्र 24996 फार्म की प्राप्ति दर्शाया जाना पाया गया । जबकि मुद्रणालय विभाग से उपरोक्तानुसार 90596 फार्म प्रदाय किया गया था । इस प्रकार 90596 – 24996 = 65600 फार्म की प्राप्ति विकास विभाग के स्टॉक/ वितरण पंजी मे नहीं दर्शाया गया है । दिनांक 05.06.08 से 10.04.12 तक कुल 59385 फार्म के वितरण होने की प्रविष्टि पायी गयी । जिसकी संबंधित राशि भी समय–समय पर वि.वि. निधि में जमा होना पाया गया । डिग्री फार्म (90596–59385) = 31211 फार्म भण्डार में अवशेष होना चाहिये । परन्तु उक्त अंतिम तिथि 10.04.12 को भण्डार में मात्र 30136 फार्म शेष का सत्यापन निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 99 पर पाया गया। इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 65** पर संलग्न है । भण्डार में (31211–30136) = 1075 फार्म की कमी पायी गयी ।

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के बिन्दु कमांक 03 (6) में श्री जानकी प्रसाद शर्मा पर आरोप प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार प्रमाणीकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार निराकरण अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (3) में दर्शित विवरण अनुसार 1075 नग डिग्री फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबंध मे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(07) 222 नग माइग्रेशन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित माइग्रेशन फार्म स्टॉक एवं वितरण की संयुक्त पंजी (प्रथम दिनांक 2003 से 2009 तक द्वितीय पंजी 2009 से 2017 तक) के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये–

1– द्वितीय पंजी (वर्ष 2009 से 2017) तक किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पायी गयी ।

2– समय–समय पर प्राप्त माइग्रेशन फार्म की प्रविष्टि नहीं पायी गयी । वितरण पश्चात बचत आवेदन फार्मो की संख्या का उल्लेख नहीं पाया गया ।

3– पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय में संधारित जावक पंजी के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि विशेष संपरीक्षा से संबंधित अवधि वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान निम्नानुसार माइग्रेशन फार्म विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया ।

मुद्रणालय की जावक पंजी का पेज नंबर	प्रदाय दिनांक	माइग्रेशन फार्म कमांक	माइग्रेशन फार्म संख्या	विकास विभाग के प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर
22	05.06.08	1 से 6000	6000	श्री योगेश सोनटेके, सहायक ग्रेड–1
41	29.08.09	1 से 5000	5000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
42	26.10.09	5001 से 10000	5000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
58	02.09.10	01 से 200	200	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
58	03.09.10	201 से 1000	800	अस्पष्ट
60	08.10.10	1001 से 10000	9000	श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक
68	11.05.11	10001 से 30000	20000	श्री शिवलोचन नेताम, कनिष्ठ अधीक्षक
		योगः–	**46000**	

सुलभ संदर्भ हेतु मुद्रणालय की जावक पंजी के पेज नंबर 22,41,42,58,60 एवं 68 की सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 66 से 71** तक (12 पृष्ठ) संलग्न है ।

4– उपरोक्तानुसार मुद्रणालय द्वारा कुल 46000 माइग्रेशन फार्म विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया, परन्तु विकास विभाग के स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 80 दिनांक 05.06.2008 को मात्र 6000 फार्म की प्रविष्टि पायी गयी । 40000 फार्म की आवक प्रविष्टि होना नही पाया गया जो कि एक गंभीर

अनियमितता है । जिसके लिये फार्म प्रदायकर्ता कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक के साथ–साथ विकास विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री डी.पी.कुइटी, श्री निनान बोधनकर, डॉ. ए.के.पाण्डेय एवं श्री अब्दुल वहाब सहायक कुल सचिव भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उपरोक्त समस्त अधिकारी इसलिये उत्तरदायी है क्योंकि उनके द्वारा लगातार चार वर्षो में एक बार भी मुद्रित प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना नही पाया गया ।

5– स्टॉक पंजी में दर्ज माइग्रेशन फार्म प्रदाय प्रविष्टियो के योग करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक–05.06.08 से 22.02.2012 तक प्रथम स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 80, 81 द्वितीय स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 41 से 45 तक कुल 31,778 फार्म वितरित होना पाये गये । इस प्रकार कुल प्राप्त 46000 फार्म के विरूद्व 31,778 फार्म वितरण होने के उपरांत (46000–31778) 14,222 माइग्रेशन फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु स्टॉक पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, न शेष निकाला गया है । पृथक से जांच नस्ती के नोटशीट पृष्ठ कमांक 118 के पृष्ठ भाग पर दिनांक 16.03.2012 की स्थिति में माइग्रेशन फार्म 14000 नग भण्डार में शेष होने का उल्लेख श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा किया जाना पाया गया । नोटशीट के पृष्ठ की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 72 एवं 73** पर संलग्न है ।

भण्डार मे वास्तविक रूप से दिनांक 16.03.2012 की स्थिति में 14,222 माइग्रेशन फार्म शेष होना चाहिये परन्तु उपरोक्त उल्लेखित नोटशीट अनुसार मात्र 14000 फार्म शेष दर्शाया गया है । इस प्रकार 222 फार्म भण्डार में कम पाये गये ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) से (4) तक में दर्शित अपूर्णता की पूर्ति अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (5) में दर्शित विवरण अनुसार 222 नग माइग्रेशन फार्म की कमी पाई गई, इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(08) 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पात्रता फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 72 दिनांक 27.09.08 पर अंतिम शेष निरंक पाया गया । मुद्रणालय से दिनांक 06.09.08 को पात्रता फार्म 10000 दिनांक 29.08.09 को पात्रता फार्म 10000 एवं दिनांक 11.05.11 को पात्रता फार्म 10000, इस प्रकार वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि में कुल 30000 फार्म विकास विभाग को प्राप्त होना पाया गया । प्रथम दो प्रविष्टियां स्टॉक पंजी (पृष्ठ कमाक 73,74) में पायी गयी। तीसरी प्रविष्टि का उल्लेख पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में नही पाया गया । पात्रता फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ कमांक 73 एवं 74 दिनांक 14.05.09 से 11.11.09 तक एवं द्वितीय पात्रता फार्म पंजी पृष्ठ कमांक 51 से 53 दिनांक 22.11.2009 से 14.02.2012 तक कुल 19,203 फार्म वितरित होना पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 116 पर पात्रता फार्म के विकय का ऐसा विवरण भी दर्ज है जिसकी प्रविष्टि पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं पायी गयी । पात्रता फार्म स्टॉक पंजी में दर्ज नही पायी गयी ऐसे फार्म की संख्या 2301 है । सुलभ संदर्भ हेतु निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 116 की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 74** पर अवलोकनार्थ संलग्न है। इस प्रकार 19,203 + 2301 = 21,504 फार्म वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान वितरित होना पाया गया । समय–समय पर उनकी जमा राशि का मिलान किया गया ।

(2) 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के मुद्रणालय विभाग से प्राप्त कुल फार्म 30,000 के विरूद्व 04 वर्षो में 21,504 फार्म वितरित होना पाया गया । अंतर पात्रता फार्म 8496 भण्डार में उपलब्ध होना चाहिये था परन्तु वितरण पंजी में शेष नही निकाले गये हैं । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 117 (सत्यापित फोटोप्रति **पृष्ठ कमांक 75** पर संलग्न है), अनुसार 8304 भण्डार में बचत होने का प्रमाण अंकित है । इस प्रकार (8496–8304) = 192 फार्म भण्डार में कम पाये गये । विभागीय जांच दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 18 पर भी 191 नग पात्रता फार्म की कमी पायी गयी ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) में दर्शित अनुसार स्टॉक प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (2) में दर्शित अनुसार 192 नग पात्रता फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबध में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(09) <u>01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण</u> :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित शोध छात्रवृत्ति फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 01 पर विश्वविद्यालय मुद्रणालय से छात्रवृत्ति आवेदन फार्म कुल 305 नग दिनांक 14.10.05 को प्राप्त होना अंकित है । पंजी प्रमाणित होना नही पाया गया । किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । प्रदाय फार्म एवं वापसी फार्म की प्रविष्टियो में अत्यधिक कांट–छांट होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । निरीक्षण जांच के समय जब रसीद पुस्तकों से प्राप्त फार्म की राशि का मिलान हुआ तब श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा पृथक से नोटशीट पृष्ठ कमांक 124 (03) पर दिनांक 21.03.12 को लिखित में स्वीकार किया गया कि फार्म समाप्त हो गया था । 293 नग फार्म फोटोकॉपी कराया गया परन्तु अज्ञानतावश फोटोकॉपी कराने की अनुमति नही लिया गया । प्रमाण हेतु नोटशीट पृष्ठ कमांक 124 (03) की सत्यापित फोटोकॉपी इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 76** पर संलग्न है ।

(2) शोध छात्रवृत्ति फार्म का पृथक से एक पृष्ठ पर लेखा श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 16.03.12 को प्रस्तुत किया जाना पाया गया जिसमें विकास विभाग के 02 अन्य कर्मचारी श्री शिवलोचन नेताम (कनिष्ट अधीक्षक) एवं श्री योगेश सोनटेके, प्रथम श्रेणी लिपिक के हस्ताक्षर पाये गये । जो कि निरीक्षण नस्ती के पृष्ठ कमांक 121 पर सलग्न है । इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 77** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

(3) फोटोकॉपी किये गये 293 फार्मो में से 228 फार्म विकय होने के पश्चात शेष फार्म 65 नग स्टॉक में बचत होने चाहिए परन्तु दिये गये विवरण में बचत फार्म मात्र 64 नग अंकित पाये गये । इस प्रकार 01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म भण्डार में कम पाया गया । विभागीय जांच दिनांक – 14.11.13 के बिन्दु कमांक 03 (09) में भी 01 नग फार्म की कमी होना प्रमाणित पाया गया ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) एवं (2) में दर्शित कमियो एवं बिन्दु कमांक (3) में दर्शित विवरण अनुसार 01 नग शोध छात्रवृत्ति फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(10) 05 नग डी.लिट/डी.एस.सी.फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित डी.लिट/डी.एस.सी.फार्म स्टॉक पंजी पृष्ठ क्रमांक 44 दिनांक 28.11.05 को वि.वि. मुद्रणालय से प्राप्त आवेदन फार्म 101 नग की प्रविष्टि पायी गयी । पंजी सत्यापित नहीं । पंजी पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर नही पाया गया । भौतिक सत्यापन समय–समय पर होना नहीं पाया गया ।

डी.लिट./डी.एस.सी.फार्म वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 44 एवं 45 दिनांक 04.05.06 से 13.02.12 तक कुल 34 फार्म विक्रय होना पाया गया । इस प्रकार (101–34) 67 फार्म अवशेष होना चाहियें । परन्तु पंजी में अवशेष फार्म की स्थिति दर्ज होना नही पायी गयी । लेकिन निरीक्षण जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 130 पर दिनांक 16.03.12 की स्थिति में 62 नग फार्म अंतिम स्टॉक के रूप में पाया गया जिसके प्रमाणीकरण में श्री शिवलोचन नेताम (कनिष्ट अधीक्षक) श्री जानकी प्रसाद शर्मा, नि.व.लि., श्री योगेश सोनटेके, प्रथम श्रेणी लिपिक के हस्ताक्षर पाये गये । इस प्रमाणीकरण की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 78** पर अवलोकनार्थ संलग्न है । अवशेष फार्म 67–62 = 05 नग फार्म स्टॉक में कम होना पाया गया । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2013 के पृष्ठ क्रमांक 19 बिन्दु क्रमांक 03 (10) डी.लिट./डी.एस.सी.फार्म से संबंधित कम पाये गये फार्म 05 नग प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 19 पर प्रमाणित सिद्व होने का उल्लेख पाया गया । (विभागीय जांच प्रतिवेदन की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ क्रमांक 01 से 31 पर अवलोकनार्थ संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार स्टॉक पंजी पूर्ण किया जाना अपेक्षित एवं 05 नग डी.लिट/डी.एस.सी. फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(11) शिक्षक भर्ती आवेदन फार्म– वसूली निरंक:–

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 04 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती आवेदन फार्म की वसूली योग्य राशि निरंक अंकित है । अतः विशेष संपरीक्षा में पुनः परीक्षण नही किया गया ।

(12) 79 नग पी.एच.डी.फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित पी.एच.डी. फार्म के स्टॉक एवं वितरण पंजी के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आए:–

1– पी.एच.डी. फार्म वितरण पंजी क्रमांक 09 पृष्ठ क्रमांक 71 से 79 तक दिनांक 01.07.08 से 17.09.09 तक कुल 501 फार्म वितरित होना तथा विभिन्न रसीदों से आय जमा होने का उल्लेख पंजी में पाया गया । इस अवधि में प्रत्येक फार्म का मूल्य 150 रू. पंजी में अंकित है । पंजी पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये ।

2– पी.एच.डी. फार्म वितरण पंजी कमांक 10 पृष्ठ कमांक 01 से 57 तक दिनांक 20.08.10 से 30.09.10 तक किसी अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । पृष्ठ कमांक 58 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक का हस्ताक्षर है एवं उनके द्वारा शेष फार्म निरंक लिखा गया है ।

3– पी.एच.डी.फार्म पंजी में प्रारंभिक शेष का उल्लेख नहीं पाया गया । विभागीय जांच के दौरान विश्वविद्यालय मुद्रणालय से ली गयी जानकारी के अनुसार उनके द्वारा कुल 3093 फार्म विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाना बताया गया । जिसका विवरण नोटशीट पृष्ठ कमांक 141 (1), 142 (2) में पाया गया । सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 79 से 80 पर** संलग्न है ।

4– श्री जानकी प्रसाद शर्मा , निम्न वर्ग लिपिक से पंजी कमांक 10 पृष्ठ कमांक 1 से 58 तक कुल पी.एच.डी. फार्म 3014 वितरण के पश्चात अंतिम शेष की जानकारी विभाग द्वारा विभागीय जांच में मांगी गयी । श्री शर्मा ने नोटशीट पृष्ठ कमांक 141 (7) पर "भण्डार में शेष नहीं है" लिखा । इस नोटशीट के पृष्ठ कमांक 140 (1), 140 (2), 141 (7) की सत्यापित फोटोप्रति अवलोकन हेतु इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 81 से 83 तक** संलग्न है ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 03 अनुसार विश्वविद्यालय मुद्रणालय द्वारा नम्बरिंग करके पी.एच.डी.फार्म कुल 3093 विकास विभाग को प्रदाय किया गया । उपरोक्त बिन्दु कमांक 04 में उल्लेखित अनुसार कुल 3014 फार्म वितरित होना पाया गया । इस प्रकार 3093–3014 = 79 फार्म न तो वितरण पाया गया न स्टॉक में शेष पाया गया । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 19 पर आरोप बिन्दु कमांक 03 (12) पी.एच.डी.फार्म से संबंधित आरोप का यह बिन्दु भी प्रमाणित सिद्व होने संबंधी उल्लेख पाया गया ।

अतः उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) से (3) तक दर्शित विवरण अनुसार स्टॉक पंजी में प्रविष्टि एवं सत्यापन अपेक्षित तथा बिन्दु कमांक (4) में दर्शित 79 नग पी.एच.डी. फार्म की भण्डार में पाई गई कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(13) 9544 नग नामांकन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग मे संधारित नामांकन फार्म पंजी वर्ष 2008–09 से 2011–12 दिनांक 13.06.08 से 30.12.11 तक पृष्ठ कमांक 50 से 132 में प्रदाय किये गये नामांकन फार्म वितरण पंजी के परीक्षण में निम्नांकित तथ्य पायें गये:–

1. नामांकन फार्म वितरण पंजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया ।
2. नामांकन फार्म विश्वविद्यालय मुद्रणालय से प्राप्ति पश्चात स्टॉक पंजी में प्रविष्टि किया जाना नही पाया गया ।
3. वितरण पंजी में अत्यधिक काट–छांट होना एवं पुनर्लेख्य पाया गया ।

4. नामांकन आवेदन फार्म वितरण के समय फार्म पर अंकित कमांक के कमानुसार वितरण होना नही पाया गया ।

5. नामांकन आवेदन फार्म वर्ष 2007-08 के वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 48 पर विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (विकास) द्वारा लेखा जांच करने संबधी टीप अंकित है । जिसमें नामांकन आवेदन फार्म भण्डार में शेष संख्या 182 नग अंकित करते हुए आगामी सत्र 2008-09 में विकय हेतु ले जाया जाना दर्शाया गया है । इस 182 नग नामांकन आवेदन फार्म को वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 50 पर पिछला शेष के रूप में पेंसिल से अंकित होना पाया गया । इसके पश्चात वर्ष 2008-09, 09-10, 10-11 एव 11-12 में व्यवस्थित रूप से नामांकन आवेदन फार्म प्राप्ति की प्रविष्टि नही की गयी है । ना तो वितरण पंजी में वितरण फार्म के योग लगाये गये है, और ना ही शेष निकाला गया है । नामांकन फार्म विश्वविद्यालय के मुद्रणालय से विकास विभाग को प्रदाय किया जाना पाया गया । मुद्रणालय की जावक पंजी में निम्नानुसार प्रविष्टियां पायी गयी:-

मुद्रणालय जावक पंजी कमांक	दिनांक	नामांकन फार्म वितरण पंजी में दर्ज पृष्ठ कमांक	फार्म प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं नाम	मुद्रणालय से प्रदाय फार्म का विवरण	कुल फार्म की संख्या
1	2	3	4	5	6
-	-	50	-	पूर्व वर्ष 07-08 का शेष	182
24	15.07.08	50	श्री योगेश सोनटेके	001 से 21000	21000
25	15.07.08	50	हस्ताक्षर अस्पष्ट	विवरण अंकित नहीं	5000
27	23.09.08	50	श्री उपेन्द्र यादव, भृत्य	कोरा पेपर 3000 नग (टीप- रेक्टर के आदेश से 2000 नग मुद्रण कराया गया)	2000
39	25.06.09	प्रविष्टि नहीं	श्री प्रदीप यादव, दैनिक वेतनभोगी	001 से 22000	22000
40	08.07.09	प्रविष्टि नहीं	श्री अरूण झा	22001 से 41000	19000
42	31.08.09	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	41001 से 41700	700
42	01.09.09	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	41701 से 45000	3300
42	08.09.09	प्रविष्टि नहीं	श्री शिवलोचन नेताम	45001 से 52500	7500
53	23.06.10	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	0001 से 50000	50000
70	15.07.11 से 19.07.11 तक	प्रविष्टि नहीं	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	901 से 9600	8700

	–	स्वास्तिक प्रिंटरी रायपुर का डिलवरी चालान 811, दिनांक 26.07.11 पेज नंबर 112	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	–	50000
	–	स्वास्तिक प्रिंटरी रायपुर का डिलवरी चालान 872, दिनांक 05.09.11 पेज नंबर 112	श्री जानकी प्रसाद शर्मा	–	30000
				कुल नामांकन फार्म की संख्या	**219382**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लेखावर्ष 2009–10 की कण्डिका कमांक 4 (अ) के सरल क्रमांक 13 – नामांकन फार्म की मुद्रण सख्या 219382 अंकित की गयी है जो कि उपरोक्त विवरण अनुसार सही पाया गया ।

6. नामांकन फार्म वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 50 से 132 दिनांक 13.06.08 से 30.12.11 तक एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती मे पायी गयी प्रविष्टियों की रसीद पन्नों से मिलान करने के उपरांत कुल 180682 नामांकन आवेदन फार्म वितरण/विक्रय होना पाया गया । संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	नामांकन फार्म वितरण/विक्रय की संख्या
2008–09	26099
2009–10	49001
2010–11	51409
1011–12	54173
कुल वितरण/विकय फार्म की संख्या	**180682**

(7) उपरोक्तानुसार नामांकन फार्म संख्या 180682 का वितरण/विकय होना अभिलेखों में पाया गया । जबकि कुल मुद्रण फार्म की संख्या 219382 है । मुद्रित फार्म 219382 में से वितरण फार्म 180682 घटाने के उपरांत 38700 फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । जबकि निरीक्षण जांच नस्ती अनुसार मात्र 29156 फार्म शेष होने का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती में नामांकन फार्म भण्डार में शेष दिनांक 24.01.12 को पेज कमांक 148,196,197 के अनुसार भण्डार में शेष फार्म 29156 होना प्रमाणित किया गया है । प्रतिवेदन के इन पृष्ठों की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 84 से 86** पर संलग्न है ।

(8) नामांकन फार्म भण्डार मे शेष होना चाहिये 38700 नग परन्तु मात्र 29156 नग शेष प्रमाणित पाया गया । इस प्रकार 38700 – 29156 = 9544 नामांकन फार्म भण्डार में कम होना प्रदर्शित हुआ ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (1) से (7) तक दर्शित स्थिति अनुसार स्टॉक पजी पूर्ण एव सत्यापित किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (8) अनुसार 9544 नग नामांकन फार्म की भण्डार मे कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अपेक्षित है ।

(14) <u>23892 नग परीक्षा फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण</u> :–

(अ) वर्ष 2008–09 से संबंधित परीक्षा आवेदन फार्म वर्ष 09–10 में स्थानांतरित किया जाना –

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित वर्ष 2008–09 के परीक्षा आवेदन फार्म महाविद्यालयों को वितरण करने संबंधी अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण में ज्ञात हुआ कि स्टॉक एवं वितरण पंजी में वर्ष 2007–08 के अंतिम शेष नही निकाले गये थे । पृथक से निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ट कमांक 56 (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 87** पर संलग्न है।) पर वर्ष 2007–08 का अंतिम शष आवेदन फार्म रद्दी में विकय होने के कारण शेष निरंक अकित पाया गया । इस नोटशीट पर श्री शिवलोचन नेताम एवं श्री योगेश सोनटेके के हस्ताक्षर दिनांक 14.03.12 को पाये गये । इसके अतिरिक्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये–

1. वर्ष 2008–09 का परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित होना नही पाया गया ।
2. वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 5 से 327 में पृथक–पृथक पृष्ठों में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के नाम दर्ज किया जाकर परीक्षा आवेदन फार्म प्रदाय किया जाना पाया गया । इस पंजी में ना तो योग लगाये गये हैं, ना शेष निकाले गये हैं । पंजी की प्रविष्टियों में अत्यधिक कांट–छांट एवं पुनर्लेख्य होना पाया गया ।
3. परीक्षा आवेदन फार्म का प्रदायगी आदेश मुद्रित पत्र में नियमित परीक्षा आवेदन फार्म तथा अमहाविद्यालयीन / पूरक परीक्षा आवेदन फार्म 25 रू. प्रतिफार्म की दर से विकय किये जाने का उल्लेख है । इस पत्र की विशेष टीप कमांक 03 में उल्लेख है कि अमहाविद्यालयीन / पूरक फार्म विकय हेतु महाविद्यालय को प्रति फार्म रू. 1.00 दिये जायेंगे । टीप कमांक 04 में उल्लेख है कि नियमित छात्रों के आवेदन फार्म विकय पर कोई राशि नही दी जाएगी । टीप

क्रमांक 07 में उल्लेख है कि आवेदन फार्म की विक्रय राशि परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय को अथवा कुल सचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजें । 10 दिन के भीतर विक्रय किये गये परीक्षा आवेदन फार्म का लेखा जोखा वि.वि. में अनिवार्य रूप से भेजें । परन्तु परीक्षण में पाया गया कि महाविद्यालयों को उधारी में जारी किये गये फार्मो का लेखा जोखा बहुत विलंब से और अधिकांश नगद में जमा होना पाया गया । वापसी फार्मो की क्रम संख्या का उल्लेख पंजी में होना नही पाया गया । इसके कारण फार्मो की संख्या में गड़बड़ी संभव हुई। उदाहरणस्वरूप महाविद्यालयों को परीक्षा आवेदन फार्म प्रदाय करने संबंधी पत्र की सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 88** पर अवलोकनार्थ संलग्न है ।

4. वर्ष 2008–09 में विकास विभाग के स्टॉक रजिस्टर क्रमांक सी.ए.01 के पृष्ठ क्रमांक 20 पर छ.ग. संवाद रायपुर के बिल क्रमांक 762 दिनांक 08.10.08 एवं बिल क्रमांक 858 दिनांक 14.01.09 द्वारा मुद्रित परीक्षा फार्म एवं वि.वि. प्रेस से प्राप्त परीक्षा फार्म की जानकारी निम्नानुसार पायी गयी –

परीक्षा फार्म का विवरण	परीक्षा फार्म की संख्या
नियमित परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा फार्म (सरल क्रमांक अंकित नहीं पाया गया)	89900
अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा फार्म (सरल क्रमांक अंकित नही पाया गया)	99887
दिनांक 12.11.08 को वि.वि.प्रेस से प्राप्त फार्म (क्रमांक 90001 से 100000 तक) (वि.वि.प्रेस जावक सामग्री पंजी पृष्ठ क्रमांक 30 दिनांक 12.11.08 प्राप्तकर्ता के कॉलम में श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर है)	10000
योग:–	**199787**

उपरोक्तानुसार परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी मे दर्ज होना पाया गया । फार्म वितरण हेतु पृथक से वितरण पंजी संधारित पाया गया । जिसमें मात्र वितरण प्रविष्टियां दर्ज है । परन्तु प्राप्त फार्मो की संख्या दर्ज नहीं पाई गई । वितरण के ना तो योग लगाये गये हैं, ना ही अंतिम शेष निकाले गये हैं । कतिपय स्थानो पर रसीदो का क्रमांक एवं जमा राशि दर्ज पाई गई ।

5. परीक्षा फार्म वितरण पंजी पृष्ठ क्रमांक 05 से 327 तक (महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं, स्वागत कक्ष एवं अन्य वितरण सहित) में दर्ज प्रविष्टियों एवं बिना प्रविष्टि के भी विक्रय परीक्षा आवेदन फार्म विक्रय से संबंधित निरीक्षण जांच में प्रस्तुत समस्त रसीद के डुप्लीकेट पृष्ठों के आधार पर कुल 186988 परीक्षा आवेदन फार्म का वितरण होना पाया गया । इस प्रकार प्राप्त

आवेदन फार्म 199787 – 186988 = 12799 फार्म भण्डार में शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में ना तो योग लगाये गये हैं, ना ही शेष निकाले गये हैं । निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ कमांक 63 की नोटशीट में कनिष्ठ अधीक्षक (विकास) द्वारा श्री नेताम / श्री जानकी प्रसाद शर्मा से यह पूछा गया कि क्या वर्ष 2008–09 का रद्दी में विकय किया गया, तो उसकी संख्या स्पष्ट करें । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 89** पर संलग्न है) । नोटशीट के पृष्ठ भाग में श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा यह टीप अंकित की गयी कि पुराने परीक्षा फार्म एवं सत्र 2009–10 के पूर्व के शेष बचत फार्म अनुपयोगी होने के कारण रद्दी के रूप में विकय किये जाने की अनुमति ली गयी । इस नोटशीट पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा का हस्ताक्षर दिनांक 05.04.12 अंकित पाया गया । (सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 90** पर संलग्न है) । पुन: नोटशीट पृष्ठ कमांक 64 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा यह टीप अंकित किया गया कि वह अगस्त 2009 में इस विभाग में आया तथा **"वर्ष 2009–10 के फार्म विकास विभाग को प्राप्त हुआ जो भी शेष बचत फार्म था उक्त पुराना फार्म बंद कर नया फार्म वितरण महाविद्यालय को किया गया"** । साथ ही यह भी लिखा गया कि **"सत्र 2009–10 में फार्म के दर की वृद्धि की गयी । पूर्व में 25 रू. फार्म का दर था । प्रारूप हेतु पुराना फार्म दिया गया था । जिसमें प्रिंट 25 रू. को कार्य परिषद के बैठक दिनांक 11.09.09 पूरक विषय कमांक 01 के निर्णय के परिपालन में नया फार्म में 50 रू. का सील लगाकर महाविद्यालय को वितरित किया गया"** । (नोटशीट की सत्यापित फोटोप्रति **पृष्ठ कमांक 91 से 93** पर सलग्न है)

उपरोक्त विवरण से यह भ्रम पैदा होता है कि वर्ष 2008–09 के बचत फार्म संख्या 12799 रद्दी में बेच दिये गये होंगे । वर्ष 2009–10 में विकय नही किये गये होंगे । लेकिन जब विश्वविद्यालय द्वारा ही निरीक्षण जांच में वर्ष 2009–10 की परीक्षा फार्म वितरण एवं आवक की गणना करने पर यह पाया कि जब वर्ष 2009–10 में कुल 249750 फार्म ही मुद्रित हो कर प्राप्त हुए थे । तथा वितरण परीक्षा फार्म 235985 होने के उपरांत भण्डार में बचत के रूप में भी परीक्षा आवेदन फार्म 14521 नग शेष पाये जाने के कारण यह स्थिति बनती है । (235985 + 14521 = 250506) जब मात्र 249750 फार्म ही मुद्रित हुए थे तब वितरण एवं बचत 250506 होने के कारण (249750 – 250506 = –756) 756 नग फार्म वर्ष 2008–09 की पुरानी बचत शेष फार्म का उपयोग वर्ष 2009–10 के वितरण में किया जाना निरीक्षण जांच में प्रमाणित हुआ । प्रमाण स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा की गयी प्रारंभिक निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2008–09 के पृष्ठ कमांक 63 के पूर्व सलग्न विवरण –"रद्दी विकय नही होने की पुष्टि" के विवरण से स्पष्ट है जिस पर श्री जीवन सिरदार कनिष्ठ अधीक्षक (विकास) का हस्ताक्षर एवं दिनांक 19.04.2012 अंकित है । इसकी सत्यापित फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 94** पर संलग्न है ।

अतः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर वर्ष 2009–10 की कण्डिका कमांक 4 (अ) के सरल कमांक 14 पर अंकित परीक्षा आवेदन फार्म 2008–09 की भण्डार में बचत परीक्षा आवेदन फार्म संख्या 12799 नग को उपरोक्त विवरण के आधार पर आगामी वर्ष 2009–10 में स्थानांतरित होना निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2008–09 के पृष्ठ कमांक 63 के साथ संलग्न विवरण के आधार पर प्रमाणित होना पाया गया ।

अभिलेख पूर्ण करने एवं विभागीय जांच में प्रमाणित एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध परीक्षा आवेदन पत्रों की प्रविष्टियां अवशेष परीक्षा फार्म के रूप में संबंधित वितरण पंजी में दर्ज करने एवं प्रमाणित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान पत्र कमांक/आर.जी./133 दिनांक 11.10.17 कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति–2/2551 दिनांक 31.10.17 एवं संचालनालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक/एल.एफ.ए./प्रति./वि.सं. /2017/1116–1117 नया रायपुर दिनांक 06.11.17 कुल सचिव, पं.र.श.शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर प्रसारित किया गया परन्तु संपरीक्षा समाप्ति तक वितरण पंजी न तो पूर्ण किये गये, ना ही उनमें बचत फार्मो की संख्या का उल्लेख पाया गया ।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं फार्म विक्रय से प्राप्त आय का विस्तृत विवरण तथा स्वागत कक्ष से विक्रय फार्म प्रदायगी एवं वापसी जमा तथा प्राप्त आय का विस्तृत विवरण एवं लेखा जिसमें परीक्षा फार्म का सरल कमांक अंकित किया जाकर अभिलेख पूर्ण किया जाकर अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(ब) वर्ष 2009–10 में 9632 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

1– विकास विभाग के स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पृष्ठ कमांक 21 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर पाये गये तथा विकास विभाग पं.र.श.शु.वि.वि.रायपुर की मुद्रा अंकित पायी गयी । परन्तु किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नही पाये गये । वर्ष 2009–10 की स्थिति में निम्नांकित परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण पश्चात प्राप्त होने की प्रविष्टि निम्नानुसार पायी गयी ।

(स्टॉक पंजी में परीक्षा आवेदन फार्म कमांक अंकित नही पाये गये) –

दिनांक	परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रणकर्ता का नाम एवं विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
स्टॉक पंजी में प्रविष्टी नहीं	इस प्रतिवेदन की कण्डिका कमांक 14 (अ) (5) अनुसार वर्ष 08–09 का शेष परीक्षा आवेदन फार्म	12799
03.11.09	छ.ग. संवाद बिल नंबर 171, दिनांक 16.10.09 परीक्षा आवेदन फार्म (नियमित)	100000

03.11.09	छ.ग. संवाद बिल नंबर 171, दिनांक 16.10.09 परीक्षा आवेदन-फार्म (अमहाविद्यालयीन)	100000
30.03.10	छ.ग. संवाद बिल नंबर 403 दिनांक 17.03.10 परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	30000
05.01.11	छ.ग. संवाद बिल नंबर 883 दिनांक 05.01.11 परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	19750
	योगः–	**262549**

इस प्रकार संपरीक्षा प्रतिवेदन 2009–10 की कण्डिका कमांक 04 (अ) के सरल कमांक 14 वर्ष 2009–10 के तृतीय कॉलम में दर्ज परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या 262549 सही पायी गयी । स्टॉक पंजी सी.ए. 01 में ना तो प्रारंभिक शेष दर्शाया गया है और ना ही वितरण की संख्या दर्शायी गयी है । स्टॉक पंजी प्रविष्टि अपूर्ण पायी गयी । वितरण पंजी पृथक से संधारित होना पाया गया । जो कि वि.वि. के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना नही पाया गया । वितरण पंजी में पृथक–पृथक पृष्ठ में पृथक–पृथक महाविद्यालयों के नाम दर्ज उपरांत वितरण की प्रविष्टियां पायी गयी। जिनमें अत्यधिक काट–छांट एवं पुनर्लेख्य पाये गये । महाविद्यालयों से वापस प्राप्त परीक्षा आवेदन फार्मो की कमवार कमांक का कही भी उल्लेख नही पाया गया । जिससे यह प्रमाणित नही होता कि कौन–कौन सी कम संख्या के परीक्षा आवेदन फार्म वि.वि. को वापस प्राप्त हुए । महाविद्यालयों को जारी होने वाले परीक्षा फार्म के टंकित पत्र में उल्लेखित विशेष टीप कमांक 05 में उल्लेख है कि **"आवेदन फार्म का विकय कृपया कमवार ही करें ताकि वापसी में सुविधा हो"** । परन्तु इस टीप का पालन होना नही पाया गया । क्योंकि वापसी के फार्मो पर कमांक अंकित नही पाये गये। परीक्षा आवेदन फार्म वितरण की प्रविष्टिया भी पंजी में कमवार नहीं पायी गयी ।

2– वर्ष 2009–10 की परीक्षा आवेदन वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 05 से 345 तक की वितरण प्रविष्टियों का मिलान करने पर परीक्षा फार्म वितरण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी–

विवरण	वितरित परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
महाविद्यालयों को वितरित फार्म की संख्या	209527
महाविद्यालयों को वितरित फार्म परन्तु लेखा अप्राप्त	8173
अध्ययन शालाओं द्वारा विकय परीक्षा फार्म	6270
स्वागत कक्ष द्वारा विकय परीक्षा फार्म	11341
अध्ययन शालाओं एवं स्वागत कक्ष से लेखा अप्राप्त फार्म	674
इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 95** पर अंकित विवरण अनुसार फार्म प्रदाय प्रविष्टि वितरण पंजी में पायी गयी परन्तु निरीक्षण जांच के विवरण में उल्लेख नही पाया गया ।	913
योगः–	**236898**

उपरोक्त बिन्दु कमांक 01 में उल्लेखित परीक्षा आवेदन फार्म की प्रारंभिक संख्या 262549 में से उपरोक्त वितरण परीक्षा फार्म संख्या 236898 घटाने के उपरान्त भण्डार में 25651 नग परीक्षा फार्म शेष बचना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी वर्ष 2009–10 में प्रदाय फार्म के ना तो योग लगाये गये है न शेष निकाले गये हैं । इसलिये वि.वि. के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा किये गये निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2009–10 के पृष्ठ कमांक 55, 56, 59 एवं 60 के अनुसार वर्ष 2008–09 के बचत परीक्षा फार्म 74 नग (22 + 52) सहित (संलग्न **पृष्ठ कमांक 96 से 99** अनुसार) वर्ष 2009–10 के 15945+74 = 16019 फार्म भण्डार में शेष होने का विवरण पाया गया परन्तु इसे पंजी में अंकित होना नही पाया गया । बचत फार्म 16019 का विवरण निम्नानुसार है–

निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 09–10 का पृष्ठ कमांक / दिनांक	बचत परीक्षा फार्म (नियमित)	बचत परीक्षा फार्म (अमहाविद्यालयीन)	कुल बचत परीक्षा फार्म
55 / 24.01.12	2302	12422	14724
56 / 05.03.12	270	420	690
59 / 04.04.12	157	60	217
60 / 10.04.12	–	314	314
		योग–	**15945**
वर्ष 2008–09 का बचत फार्म (22 + 52) संलग्न पृष्ठ कमांक 96 से 99 अनुसार			74
		कुल बचत परीक्षा फार्म	**16019**

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 09–10 में 16019 परीक्षा आवेदन फार्म बचत का प्रमाणीकरण निरीक्षण जांच नस्ती में पाया गया जबकि वर्ष 09–10 की वास्तविक बचत उपरोक्त दिये गये विवरण के अनुसार (262549 – 236898) = 25651 होना चाहिये । 25651 बचत फार्म के विरूद्व मात्र 16019 परीक्षा आवेदन फार्म बचत का निरीक्षण जांच में उल्लेख पाये जाने के कारण अंतर परीक्षा फार्म (25651 – 16019) = 9632 फार्म की भण्डार में कमी पाई गई ।

(स) वर्ष 2010–11 में 13061 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

1 – पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के विकास विभाग में संधारित परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पेज नंबर 22 में 3 पीएसडी अहमदाबाद से दिनांक 26.11.10 को नियमित परीक्षा आवेदन फार्म 100000 नग, अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म 100000 नग एवं दिनांक 13.01.11 को अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म 25000 इस प्रकार कुल 225000 नग परीक्षा आवेदन फार्म की प्रविष्टि पायी गयी । जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा नि.व.लि. का हस्ताक्षर पाया गया । विकास विभाग प.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर की मुहर पायी गयी । जिस पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये । अतः प्रविष्टियां प्रमाणित नहीं पायी गयी ।

निरीक्षण जांच नस्ती में संलग्न विवरण एवं संबंधित मूल नस्ती में संलग्न चालान का परीक्षण करने पर परीक्षा आवेदन फार्म निम्नानुसार पाये गये–

विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
इस प्रतिवेदन में संलग्न विवरण **पृष्ठ कमांक 100** के अनुसार 3 पीएसडी अहमदाबाद से चालान द्वारा वि.वि. रायपुर को प्रेषित परीक्षा फार्म संख्या	240400
परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 पृष्ठ 21 में दर्ज सागर प्रिंटर्स रायपुर के बिल कमांक 578 दिनांक 06.01.2011 द्वारा प्राप्त आवेदन फार्म की संख्या	25000
योगः–	**265400**

वर्ष 2010–11 में चालानएवं बिल के आधार पर 265400 परीक्षा फार्म प्राप्त होने संबंधी विवरण अभिलेखों में पाया गया । जबकि स्टॉक प्रविष्टि मात्र 225000+25000 = 250000 परीक्षा फार्म की प्रविष्टि पाई गई । 15400 फार्म की प्रविष्टि नही पाई गई जो कि एक गंभीर अनियमितता है ।

2 – परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी वर्ष 2010–11 पृष्ठ कमांक 5 से 416 तक की गई प्रविष्टि एवं संपरीक्षा में प्रस्तुत रसीद पन्नो की द्वितीय प्रतियों के आधार पर महाविद्यालयों, अध्ययन शालाओं एवं स्वागत कक्ष की ओर कुल 230282 परीक्षा आवेदन फार्म वितरण होना पाया गया ।

3 – वर्ष 2010–11 में प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्र उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 अनुसार 265400 तथा बिन्दु कमांक 2 में उल्लेखित विवरण अनुसार वितरण परीक्षा आवेदन फार्म 230282 घटाने पर भण्डार में (265400 – 230282 = 35118) 35118 फार्म शेष बचना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, ना ही शेष निकाले गये हैं । इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ

क्रमांक 41, 42 एवं 44 पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में गिनकर वर्ष 10–11 के परीक्षा फार्म भण्डार में रखे जाने का उल्लेख पाया गया । पृष्ठ क्रमांक 41 पर 1125 + 20593, पृष्ठ क्र. 42 पर 226 + 13 तथा पृष्ठ क्र. 44–45 पर 100 नग परीक्षा फार्म इस प्रकार इनकी कुल संख्या 22057 नग अंकित होना पाया गया । इस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा के हस्ताक्षर भी पाये गये । उक्त पृष्ठ की सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 101, 102, 103** पर संलग्न है ।

4 – वर्ष 2010–11 में	प्राप्त फार्म	265400
	वितरित फार्म	230282
	बचत फार्म	35118

परन्तु श्रीजानकी प्रसाद शर्मा द्वारा मात्र 22057 फार्म ही उपलब्ध होने संबंधी विवरण निरीक्षण जांच में उपलब्ध कराया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर भी पाये गये । इस प्रकार (35118 – 22057) = 13061 फार्म भण्डार में कम पाए गए । विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ क्रमांक 20 में आरोप बिन्दु क्रमांक 03 (14) परीक्षा फार्म वर्ष 2010–11 से संबंधित आरोप प्रमाणित सिद्ध होना पाया गया ।

(द) वर्ष 2011–12 में 1199 नग परीक्षा फार्म की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्ण :–

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2011–12 में विकास विभाग में संधारित परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 के पेज नंबर 22 से 23 पर ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कन्सलटेंट प्रा.लि. 60 इलेक्ट्रानिक्स कॉम्पलेक्स इंदौर से निम्नानुसार परीक्षा आवेदन फार्म की आवक प्रविष्टि पाई गई –

स्टॉक पंजी सी. ए. 01 का पेज नंबर	दिनांक	परीक्षा आवेदन फार्म विवरण	परीक्षा आवेदन फार्म प्राप्ति की संख्या
22	14.12.11	नियमित परीक्षा आवेदन फार्म देयक क्रमांक ओ.डी.पी. / के.के.के. / 2011–12 / 115 दिनांक 24.10.11 स्टॉक प्रविष्टि पर सहा. कुल सचिव (विकास) का हस्ताक्षर पाया गया । लिपिक के रूप में श्री योगेश कुमार सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया	125000 नग
23	14.12.11	अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म देयक क्रमांक ओ.डी.पी. / के. के.के. / 2011–12 / 122 दिनांक 22.11.11 स्टॉक प्रविष्टि पर सहायक कुल सचिव (विकास) का हस्ताक्षर पाया गया । लिपिक के रूप मे श्री योगेश सोनटेके का हस्ताक्षर पाया गया	175000 नग
		योग–	**300000**

उपरोक्तानुसार वर्ष 11–12 में 300000 नग परीक्षा आवेदन फार्म की प्रविष्टि पाई गई। इस प्रकार संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 की कण्डिका क्रमांक 4 (अ) के सरल क्रमांक 14 पर वर्ष

2011–12 में अंकित मुद्रण फार्म संख्या के कॉलम में अंकित 300000 नग परीक्षा आवेदन फार्म संख्या विशेष संपरीक्षा में सही पाई गई ।

(2) परीक्षा आवेदन फार्म स्टॉक पंजी सी.ए. 01 में प्रारंभिक शेष अंकित नही पाया गया । वितरण प्रविष्टियां नही पाई गई । पृथक से संधारित वर्ष 2010–11 की फार्म वितरण पंजी में पृथक–पृथक पृष्ठों पर दर्ज महाविद्यालयों के नाम के सम्मुख ही वर्ष 2011–12 की प्रविष्टियां भी की गई है । परन्तु वितरण पंजी किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पाया गया । प्रविष्टियां कमानुसार नही पाई गई । प्रदाय फार्म के सरल कमांक अधिकाश प्रविष्टियों में नहीं पाये गये । प्रविष्टियो में कांट–छांट एवं पुनर्लेख्य पाये गये । वर्ष 10–11 एवं 11–12 के वितरण फार्मो के योग नही लगाये गये हैं । शेष नही निकाले गये है । प्रविष्टियां दिनांक अनुसार बढ़ते कम मे नही पाई गई ।

(3) वर्ष 2011–12 मे परीक्षा आवेदन वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 05 से 409 तक दर्ज फार्म वितरण प्रविष्टिया का परीक्षण करने प्रस्तुत निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 11–12 में उपलब्ध अभिलेखो तथा विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई कार्यालयीन रसीद पन्नो की द्वितीय प्रतियो के परीक्षण में निम्नानुसार फार्म वितरण की स्थिति पाई गई –

विवरण	वितरित परीक्षा आवेदन फार्म की संख्या
महाविद्यालयों द्वारा विकय परीक्षा आवेदन फार्म	167998
अमहाविद्यालयीन शालाओ द्वारा विकय परीक्षा आवेदन फार्म	706
स्वागत कक्ष द्वारा विकय परीक्षा आवेदन फार्म	8231
महाविद्यालय को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त	47277
स्वागत कक्ष एवं अमहाविद्यालयीन को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त	262
विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई रसीद पन्नों के आधार पर परीक्षा फार्म विकय होना पाया गया परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती में उनकी प्रविष्टि नहीं पाई गई । ऐसी सूची इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 104, 105** पर संलग्न है ।	1088
योग:–	**225562**

उपरोक्त विवरण अनुसार वर्ष 11–12 में 225562 परीक्षा आवेदन फार्म वितरित होना पाया गया ।

(4) बिन्दु कमांक (1) अनुसार प्राप्त परीक्षा आवेदन फार्म 300000 नग । बिन्दु कमांक (2) में दर्ज विवरण अनुसार वितरित परीक्षा आवेदन फार्म 225562 नग । इस प्रकार (300000 – 225562) = 74438 नग फार्म भण्डार मे शेष होना चाहिये । परन्तु वितरण पंजी में न तो योग लगाये गये हैं, ना शेष निकाले गये हैं इसलिये निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2011–12 के पृष्ठ क्रमांक 29, 30, 32 एवं 33 में दर्ज बचत फार्म की प्रविष्टि निम्नानुसार पाई गई –

निरीक्षण जांच नस्ती का पृष्ठ कमांक एवं दिनांक	बचत परीक्षा फार्म भण्डार में जमा किया जाना दर्शाया है जिस पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा का हस्ताक्षर अंकित पाया गया	
29 / 24.01.12	नियमित परीक्षा फार्म	41000
	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	5800
	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	20000
30 / 04.02.12	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	2588
	नियमित परीक्षा फार्म	2517
32 / 30.03.12	अमहाविद्यालयीन परीक्षा फार्म	571
	नियमित परीक्षा फार्म	309
33 / 05.03.12	नियमित परीक्षा फार्म	454
	योग–	**73239**

भण्डार में परीक्षा आवेदन फार्म शेष होना चाहिये 74438 नग परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा उपरोक्तानुसार 73239 नग शेष होना दर्शाया गया है । अतः (74438 – 73239) = 1199 नग परीक्षा आवेदन फार्म भण्डार में कम होना पाया गया ।

इस संबंध में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 20 पर आरोप बिन्दु कमांक 03 (14) परीक्षा फार्म से संबंधित आरोप का बिन्दु प्रमाणित सिद्व होना पाया गया है ।

उपरोक्त बिन्दु कमांक (अ) में दर्शित विवरण अनुसार अभिलेखो को पूर्ण किया जाना अपेक्षित है । बिन्दु कमांक (ब) में दर्शित 9632 नग परीक्षा फार्म बिन्दु कमांक (स) में दर्शित 13061 नग परीक्षा फार्म एवं बिन्दु कमांक (द) में दर्शित 1199 नग परीक्षा फार्म, इस प्रकार कुल 23892 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(15) वर्ष 2011–12 में 380 नग ओ.एम.आर. शीट की भण्डार में कमी एवं स्टॉक पंजी अपूर्णः–

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्ष 2011–12 में आदेश क्रमांक 409/विकास/2011 दिनांक 11–05–2011 के माध्यम से फर्म ओसवाल कम्प्यूटर एंड कंसलटेंट प्रा. लिमिटेड 60 इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स परदेशीपुरा इंदौर को अतिरिक्त ओ.एम.आर. शीट 1,00,000 नग का आदेश दिया जाना पाया गया।

फर्म ओसवाल कम्प्यूटर द्वारा अपने देयक क्रमांक ओ.डी.पी./के.के.के/2011–12/121 दिनांक 11–11–2011 द्वारा एक लाख नग अतिरिक्त ओ.एम.आर. शीट 1.55 रूपये प्रति नग की दर से कुल 1,55,000/– में प्रदाय किया जाना पाया गया।

विकास विभाग के स्टाक पंजी CA-01 पृष्ठ क्र.22 पर अतिरिक्त ओ.एम.आर शीट एक लाख नग की प्रविष्टि पाई गई प्रविष्टि के समर्थन में श्री योगेश सोनटेके, सहा. ग्रेड–1 एवं सहायक कुलसचिव (विकास) श्री अब्दुल वहाब के हस्ताक्षर पाये गये।

प्रथक से संधारित परीक्षा फार्म आवेदन एवं ओ.एम.आर. शीट वितरण पंजी प्रमाणित नहीं पाई गई। वितरण पंजी वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में ओ.एम.आर शीट की वितरण प्रविष्टि दर्ज पाई गई महाविद्यालय/स्वागत कक्ष/प्रेक्षा गृह को वितरण की गई ओ.एम.आर शीट की प्रविष्टियों की पंजी में न तो योग लगाया गया है और न ही वितरण पश्चात शेष की प्रविष्टि की गई है।

विशेष संपरीक्षा के दौरान वितरण पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का योग लगाने पर वर्ष 2011–12 में निम्नानुसार स्थिति पाई गई

क्र	विवरण	वितरित ओ.एम.आर. शीट की संख्या	स्टॉक पंजी सी.ए.01 के पेज क्रमांक 22 अनुसार
1	महाविद्यालयों को वितरण किये गये ओ.एम. आर शीट की संख्या के योग जिनकी राशि जमा की प्रविष्टि वितरण पंजी में दर्ज पाई गई। पृष्ठ क्रमांक 05 से 409 तक	26,778	1,00,000
2	महाविद्यालयों को वितरित परन्तु लेखा अप्राप्त ओ.एम.आर शीट	6582	
3	प्रेक्षागृह/स्वागत कक्ष द्वारा विक्रय ओ.एम. आर शीट की सख्या जो निरीक्षण जांच नस्ती के पृष्ठ क्रमांक 27 एवं 28 में उपलब्ध कराया गया। जिसकी जमा राशि का मिलान कार्यालयीन रसीद पन्नों से किया गया।	1850	
4	ऐसी ओ.एम.आर शीट जिनकी विक्रय की राशि वि.वि. में रसीद द्वारा जमा पाया गया। इसकी सूची इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क्रमांक 106 पर** संलग्न है।	395	
	योग	35605	35605
	भण्डार में शेष होना था		64395

	परन्तु निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष 2011–12 नस्ती क.14 के पृष्ठ क.29. पर 62,800 पृष्ठ 30 पर 1169 एवं पृष्ठ 32 पर 46 नग ओ. एम.आर. शीट बचत शेष का सत्यापन होना एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा के साथ–साथ श्री योगेश सोनटेके के भी हस्ताक्षर पाये गये। सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ क 107 से 109** तक सलग्न है		64015
	अन्तर (ओ.एम.आर. शीट)		380

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14–11–2013 के बिन्दु कमांक 03(14) पृष्ठ कमांक 21 ओ.एम.आर. शीट की कमी के सम्बन्ध में दर्ज विवरण अनुसार साक्षी श्री योगेश सोनटेके एवं श्री शिवलोचन नेताम द्वारा अपचारी कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में स्टॉक मिलान किया गया था जिससे आरोप का यह बिन्दु प्रमाणित सिद्ध होने का उल्लेख पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 में 380 नग ओ.एम.आर.शीट की भण्डार में कमी पाई गई, इसके लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(16) प्रभक्षण वसूली राशि रू. 200=00 के संबंध में :–

परीक्षा आवेदन फार्म वितरण पंजी वर्ष 2010–11 के पृष्ठ कमांक 416 में दिनांक 06.12.10 को 178 नग परीक्षा आवेदन फार्म शासकीय महाविद्यालय लवन को जारी किया जाना पाया गया। 09 परीक्षा फार्म वापस प्राप्त तथा 169 फार्म की 100 रूपये प्रति फार्म के दर से राशि 16900/– रसीद कमांक 88/2825 दिनांक 13.01.11 से जमा की प्रविष्टि पाया गया। कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय लवन जिला–रायपुर (छ.ग.) का पत्र कमांक 118/स्था./2010 लवन दिनांक 12.01.11 द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को प्रेषित (संबोधित) पत्र में परीक्षा आवेदन पत्र 2011 का लेखा प्रेषण किया गया है। जिसमें महाविद्यालय को 178 फार्म प्राप्त हुआ जिसमें 171 परीक्षा आवेदन फार्म विकय किया गया शेष 07 आवेदन फार्म मूलतः विश्वविद्यालय की ओर भेजा गया। 169 परीक्षा आवेदन फार्म की राशि रू. 16900/– ड्राफ्ट कमांक 311372 दिनांक 06.01.11 एवं 02 आवेदन फार्म की राशि रूपये 200/– नगद भेजा गया। शासकीय महाविद्यालय, लवन के लेखा प्रेषण पत्र में श्री जानकी प्रसाद शर्मा ने दिनांक 13.01.11 को टीप लिखा है "राशि रू.16900/– डी.डी. जमा कर रसीद प्रदाय करें कैश काउन्टर (वित्त)"। इस प्रकार शासकीय महाविद्यालय लवन द्वारा 07 फार्म वापस एवं 02 फार्म की राशि रू. 200/– नगद भेजा जाना एवं परीक्षा फार्म वितरण पंजी के पृष्ठ कमांक 416 में दर्ज आंकडे में अंतर है। महाविद्यालय को जारी 178 फार्म में से 169 फार्म की राशि विश्वविद्यालय में जमा होना पाया गया एवं 07 फार्म वापस विश्वविद्यालय में जमा तथा 02 परीक्षा आवेदन फार्म की राशि रू. 200/– विश्वविद्यालय कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

इस संबंध में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संस्थित विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के **पृष्ठ कमांक 26** अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक द्वारा राशि रू. 200.00 का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया ।

अतः जवाबदार से राशि रू.200/– वसूल की जाकर विश्वविद्यालय निधि में जमा से अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

सुलभ संदर्भ हेतु शासकीय महाविद्यालय लवन द्वारा प्रेषित पत्र क. 118 दिनांक 12/01/11 परीक्षा फार्म वितरण पंजी पृष्ठ कमांक 416, वि.वि. का पत्र कमांक 1943 दिनांक 24.05.2012 तथा रसीद कमांक 88/2825 दिनांक 13.01.11 की सत्यापित प्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक **111** से **115** तक अवलोकनार्थ संलग्न है।

(17) असमायोजित अग्रिम रू. 10000.00 का समायोजन/वसूली अपेक्षित:–

परीक्षा मद कैश बुक वित्तीय वर्ष 2011–12 के पृष्ठ कमांक 39 में व्हाउचर कमांक 6079 दिनांक 22.11.11 से राशि रूपये 10,000=00 का अग्रिम श्री जानकी प्रसाद शर्मा को परीक्षा सत्र 2012 के आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु चेक कमांक 493422 दिनांक 22.11.11 को दिया गया है जिसे अग्रिम पंजी कमांक 43 के पृष्ठ कमांक 38 में दर्ज किया गया है किन्तु अग्रिम का समायोजन होना नहीं पाया गया। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि श्री जानकी प्रसाद शर्मा (निलंबित) द्वारा 10,000=00 अग्रिम के विरूद्ध समायोजन देयक में प्रस्तुत किये गये बिल सादे कागज में स्वयं द्वारा (श्री जानकी प्रसाद शर्मा) हस्तलिखित प्रस्तुत किया गया है। जिसे वित्त विभाग द्वारा जांच उपरांत नस्ती कमांक 3 में अमान्य किया गया है। तथा नोटशीट पृष्ठ 04 में टीप अंकित किया गया है बंडल की संख्या स्पष्ट नहीं किया गया है, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है, इंप्रेस राशि से कितने मजदूर का भुगतान किया गया है, जानकारी संलग्न नहीं है तथा अग्रिम राशि से भुगतान की स्वीकृति नहीं है, समायोजन अमान्य कर स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा कुलसचिव का पत्र कमांक 2785/सा.प्रशा./12 दिनांक 25.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है (पत्र की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के पृ.क.**116** पर अवलोकनीय है)

सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट, अग्रिम पंजी, समायोजन बिल की सत्यापित छाया प्रति इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक **117**से **122** तक संलग्न प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा को दिये गये अग्रिम के समायोजन / वसूली की कार्यवाही की जाकर अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(18) 100 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी :–

पंडित रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर के विकास विभाग में संधारित परीक्षा फार्म वितरण पंजी (लाल पंजी) के पृष्ठ कमांक 96 में दिनांक 03.08.2011 को पूरक परीक्षा 2011 हेतु शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबहरा जिला–महासमुंद (छ.ग.) को 400 नग परीक्षा फार्म प्रदाय किया जाना दर्ज है तथा रसीद कमांक 21/3069 दिनांक 02.09.11 से राशि रू. 27900/– एवं रसीद कमांक 83/3073 दिनांक 19–10–11 से राशि रू.1800=00 कुल 300 नग परीक्षा फार्म की राशि जमा होना पाया गया किंतु 100 शेष परीक्षा फार्म की वापसी या राशि जमा का इंद्राज होना नहीं पाया गया। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत फार्म वितरण पंजी एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा जिला महासमुंद (छ.ग.) के पत्र कमांक 146/पूरक/परीक्षा/2011 बागबाहरा दिनांक 17.10.11 जो कि कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को संबोधित है। पत्र में उल्लेख है कि "पूरक परीक्षा 2011 के लिये कुल 400 परीक्षा आवेदन फार्म प्राप्त हुए थे जिसमें 300 फार्मो का विक्रय कर लिया गया है शेष 100 फार्म आपकी ओर प्रेषित है।" उक्त पत्र में विशेष कर्तव्य अधिकारी परीक्षा द्वारा 100 परीक्षा आवेदन फार्म को दिनांक 19.10.11 को प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 16.07.12 को टीप अंकित किया गया है **"उस अवधि में कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी महाविद्यालय का फार्म मेरे द्वारा प्राप्त कर श्री उपाध्याय उर्फ श्री जानकी प्रसाद शर्मा को श्री वहाब सहायक कुलसचिव विकास के समक्ष उपलब्ध करा दिया हूँ कृप्या परीक्षण करा लें"** विशेष कर्तव्य अधिकारी परीक्षा के कथन की पृष्टि करने एवं महाविद्यालय द्वारा जमा पूरक परीक्षा के 100 फार्म की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से श्री जानकी प्रसाद शर्मा को पत्र कमांक 2785/सा.प्रशा./12 रायपुर दिनांक 25.07.12 द्वारा आरोप पत्र की कंडिकाओं में शामिल किया जाना पाया गया।

सुलभ संदर्भ हेतु नोटशीट, कार्यालय प्राचार्य शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बागबाहरा के पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र की सत्यापित छाया प्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 123 से 125** तक अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः उपरोक्त दर्शित विवरण अनुसार 100 नग परीक्षा आवेदन फार्म की भण्डार में कमी पाई गई, इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

(19) वसूली योग्य राशि रू.1900=00

विकास विभाग में संधारित परीक्षा फार्म वितरण पंजी वर्ष 2011–12 के पृष्ठ कमांक 218 में श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी जिला–दुर्ग को 80 परीक्षा फार्म प्रदाय एवं 15 परीक्षा फार्म की राशि शेष होना अंकित किया गया है। 80 फार्म की राशि रसीद कमांक 42/3100 दिनांक 31–12–11 से राशि रू. 8000/– जमा की प्रविष्टि दर्ज है। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के परीक्षण में पाया गया कि श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी दुर्ग के पत्र कमांक/एस.आर.आई/शिक्षा संकाय/प.फा./2011/37 दिनांक 15.11.11 द्वारा कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को प्रेषित पत्र में वर्ष 2011–12 की वार्षिक परीक्षा के लिए 99 फार्म की मांग की गई। उक्त पत्र पर रूपये 9900/– (नौ हजार नौ सौ) मात्र जमा करावें दिनांक 15.11.11 टीप अंकित है। टीप पर हस्ताक्षर अस्पष्ट है।

सहायक कुलसचिव, विकास, पं.र.वि.वि. के पत्र कमांक 262/विकास/प.फार्म लेखा/2012 रायपुर दिनांक 10.05.12 द्वारा प्राचार्य श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी जिला–दुर्ग को परीक्षा आवेदन फार्म 2010–11 का लेखा की जानकारी मांगा जाना पाया गया। जिसके पालन में प्राचार्य रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी के दो कर्मचारियों (1) श्री श्याम वर्मा, आफिस सहायक (2) श्री दामोदर श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 28/05/12 को पत्र लिखकर स्पष्ट किया गया कि विकास विभाग में संपर्क करने पर फार्म की राशि 9900/– मात्र वित्त विभाग में जमा करने हेतु कहा गया। तुरंत कैश काउंटर में राशि जमा करने गये परन्तु कैश काउंटर बंद होने के कारण जमा नहीं हो सका। विकास विभाग से संपर्क कर कैश काऊंटर बंद होने की जानकारी दी गई तो कार्य सहायक द्वारा परीक्षा फार्म के नगद पैसे की मांग की गई और फार्म ले जाओं बोला। चूंकि संस्थान को परीक्षा फार्म की अत्यंत आवश्यकता थी इस कारण कार्य सहायक को नगद राशि देकर 99 (निन्यानबे) परीक्षा फार्म प्राप्त कर लिये।

पत्र में उल्लेखानुसार "विश्वविद्यालय का पत्र कमांक 262/विकास/प.फार्म लेखा/2012 दिनांक 15.05.12 प्राप्त होने पर रसीद के बारे में जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के विकास विभाग में जाकर परीक्षा फार्म वितरण पंजी के परीक्षण में 80 परीक्षा फार्म की राशि रू. 8000 रसीद क. 42/3100 दिनांक 31.12.11 से जमा होना दिखाया जा रहा है। और 15 फार्म शेष बताया गया है इस तरह विकास विभाग में संधारित पंजी में 95 फार्म प्रदाय दर्शाया गया है जबकि महाविद्यालय को 99 परीक्षा फार्म प्रदाय किया गया है। अभिलेखो में भिन्नता दिखाई दे रही है"।

श्री रावतपुरा सरकार संस्थान कुम्हारी दुर्ग द्वारा 99 परीक्षा फार्म लेना स्वीकार किया जाने पर उपकुलसचिव (प्रशासन) पं. रविशंकर वि.वि. के पत्र कमांक 3225/सा. प्रशा./12 रायपुर दिनांक 27.08.12 द्वारा श्री जानकी प्रसाद शर्मा निलंबित को 19 परीक्षा फार्म की राशि गबन करने एवं 99 परीक्षा फार्म की राशि की रसीद सम्बन्धित महाविद्यालय को प्रदाय नहीं करने का आरोप कंडिका में शामिल किया गया है। विशेष संपरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों एवं वितरण पंजी के परीक्षण में 19 फार्म की राशि रू. 1900/– वि.वि. कोष में जमा होना नहीं पाया गया।

विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.13 के पृष्ठ कमांक 29 अनुसार श्री जानकी प्रसाद शर्मा नि.व.लि. (अपचारी कर्मचारी) पर आरोप बिन्दु कमांक 15 प्रमाणित होना पाया गया। [सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन के साथ पृष्ठ कमांक 29 पर अवलोकनार्थ संलग्न है]

उपरोक्त उल्लेखित विवरण में दर्ज पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति इस प्रतिवेदन में **पृष्ठ कमांक 126 से 128** पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः विभागीय जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.11.2013 के आरोप कमांक 12, 14 एवं 15 प्रमाणित पाये जाने के कारण उत्तरदायी पक्ष से राशि वसूल किया जाकर वि.वि. की निधि में जमा के विवरण से अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(20) वितरित किये गये परीक्षा फार्म एवं ओ.एम.आर.शीट फार्म के लेखो का समायोजन अपेक्षितः–

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की विशेष संपरीक्षा में उपलब्ध कराई गई प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती में निम्नानुसार परीक्षा आवेदन फार्म एवं ओ.एम.आर.शीट महाविद्यालय स्वागत कक्ष को वितरित किया जाना पाया गया परन्तु उनका लेखा अप्राप्त बताया गया है ।

अतः निम्न विवरण अनुसार अप्राप्त लेखों का समायोजन कब–कब किया गया है, उसका विवरण एवं प्राप्त राशि के रसीद कमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के पश्चात् लेखा पूर्ण किया जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना अपेक्षित है जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय को कितनी राशि प्राप्त किया जाना है । अप्राप्त लेखों का विवरण निम्नानुसार है–

निरीक्षण जांच नस्ती वर्ष एवं पृष्ठ कमांक	लेखा अप्राप्त परीक्षा फार्म की संख्या	लेखा अप्राप्त ओ. एम.आर.शीट की संख्या	दर राशि रूपये	असमायोजित राशि
2008–09 पृ.क.ए 1 (महा. अ.शाला, स्वागत कक्ष)	3194	–	25	79850
2009–10 पृ.क. ए 1 महाविद्यालयीन	8173	–	50	408650
अ.शाला एवं स्वागत कक्ष	674	–	50	33700
2010–11 पृ.क. 1 ए महाविद्यालय	7999	–	100	799900
2010–11 पृ.क. 1 ए अ. शाला, स्वागत कक्ष	17	–	100	1700
2011–12 पृ. 1 महाविद्यालय	47277	–	100	4727700
स्वागत कक्ष, अ.शाला	262	–	100	26200
2011–12 पृ.क. 2 महा. स्वागत कक्ष, अ.शाला		6592	20	131840
योग–	**67596**	**6562**	–	**6209540**

प्रारंभिक निरीक्षण नस्ती के उपरोक्त विवरण से संबधित विस्तृत सूचियां निरीक्षण जांच नस्ती में संलग्न है एवं अप्राप्त लेखा विवरण की सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 129 से 133** तक अवलोकनार्थ संलग्न है ।

अतः उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये अप्राप्त लेखों का समायोजन प्रविष्टियों को पृथक से पंजी में कमवार लिखा जाकर प्राप्त रसीदो के आधार पर प्रविष्टि किया जाकर सक्षम अधिकारी से सत्यापन उपरांत अंकेक्षण को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण अभिमत– उपरोक्तानुसार कण्डिका कमांक 01 से 20 में उल्लेखित विवरण तथ्यों, प्रमाणों से स्पष्ट है कि पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 40 के अंतर्गत निर्मित विनियम कमांक 108 में निम्नानुसार दिये गये प्रावधानो का पालन नही किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति उठानी पड रही है ।

विनियम 108 के भाग–2 की कण्डिका कमांक 3 के तहत केशबुक, देयक पंजी, आय–व्यय पंजियो के रख–रखाव के संबध में किये गये प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त होने वाली आय से संबंधित रसीद बुक, दैनिक वसूली पंजी का लेखा वित्त विभाग, मुद्रणालय एवं भण्डार द्वारा रखा जाकर प्रतिमाह वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाना है । इसके पालन का अभाव पाया गया । वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) द्वारा प्रतिमाह के अंत में मुद्रणालय, भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना नही पाया गया । विकास विभाग द्वारा भी भण्डार का लेखा वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) के समक्ष भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाने संबंधी उल्लेख पंजी में नहीं पाया गया ।

विनियम 108 के भाग– 8 " भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन एवं अपलेखन प्रकिया" की कण्डिका कमांक 03 के अनुसार केंद्रीय भण्डार का पूर्ण नियंत्रण कुल सचिव अथवा प्राधिकारी के अधीन रहेगा । भण्डार पंजी के प्रपत्र में समस्त जानकारी प्रत्येक तीन माह में प्राधिकारी / कुल सचिव द्वारा सत्यापित किया जा सकेगा परन्तु विगत चार वर्षो में एक बार भी भौतिक सत्यापन होने संबंधी कोई भी विवरण या प्रविष्टि भण्डार पंजी में नही पायी गयी । विनियम – 108 के भाग – 8 की कण्डिका कमांक 5 के परन्तु अनुसार विकास विभाग के भण्डार का सत्यापन प्रत्येक तीन माह में संबंधित अधिकारी समस्त कार्यवाही के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे । परन्तु उक्त प्रावधान का पालन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी द्वारा किया जाना नहीं पाया गया । यदि निर्धारित समयावधि में सत्यापन किया गया होता तो इतनी गंभीर परिस्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उस पर अंकुश लगाया जा सकता था ।

विशेष संपरीक्षा से संबंधित कालावधि 2008–09 से 2011–12 लगातार चार वर्षो तक विकास विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी निम्नानुसार पदस्थ होने संबंधी प.र.शं.शु.वि.वि. रायपुर के आदेश पाये गये–

कमांक	वि.वि. का आदेश कमांक / दिनांक	विकास विभाग में पदस्थ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी का नाम	समयावधि
1	3476 / प्रशा.स्टो. / कु.स., दिनांक 21.10.05	श्री डी.पी.कुइटी (प्रवाचक भूगर्भ शास्त्री)	21.10.05 से 09.06.09 तक
2	2859 / सा.प्रशा. / 09, दिनांक 09.06.09	श्री निनाद बोधनकर (रीडर भूविज्ञान अध्ययनशाला)	10.06.09 से 05.07.10 तक

3	3069/सा.प्रशा./10, दिनांक 05.07.2010	डॉ.ए.के.पाण्डेय (अर्थशास्त्र अध्ययनशाला)	06.07.10 से 04.02.11 तक
4	539/सा.प्रशा., दिनांक 04.02.2011	श्री अब्दुल वहाब (सहा. कुल सचिव)	05.02.11 से 07.09.12 तक

उपरोक्त आदेशों की सत्यापित प्रतियां इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 134 से 137 तक** संलग्न है ।

उपरोक्तानुसार यदि निर्धारित समयावधि में सत्यापन किया गया होता तो इतनी गंभीर परिस्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उस पर अंकुश लगाया जा सकता था । परिनियम 108 के भाग– 2 की कण्डिका (03), भाग – 8 की कण्डिका (03), (04) एवं (05) का पालन नही करने हेतु कुल सचिव वित्त अधिकारी (वित्त नियंत्रक) विकास विभाग में पदस्थ विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी भी उत्तरदायी पाये गये ।

अभिलेख पूर्ण करने एवं विभागीय जांच में प्रमाणित एवं भौतिक सत्यापन में उपलब्ध परीक्षा आवेदन पत्रों की प्रविष्टियां अवशेष परीक्षा फार्म के रूप में संबंधित वितरण पंजी में दर्ज करने एव प्रमाणित करने हेतु अंकेक्षण के दौरान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 6 (1) (क) के अधीन पत्र कमांक/आर.जी./125, दिनांक– 22.09.17, 126 दिनांक – 23.09.17 धारा 6 (1) (ख) के अधीन पत्र कमांक/आर.जी./130 दिनांक – 04.10.17, 133 दिनांक – 11.10.17, 134 दिनांक – 12.10.17 एवं धारा 6 (1) (ग) के अधीन अपेक्षा पत्र कमाक/आर.जी./138, दिनांक – 27.10.17 जारी किये गये प्रत्युत्तर में मात्र एक पत्र कमांक 977/परीक्षा/2017 दिनांक – 30.10.17 प्राप्त हुआ । जिसमें पूरक परीक्षा में सम्मिलित नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 की स्थिति में निरंक बताई गई है । पूछने पर ज्ञात हुआ कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध होने पर अवगत कराया जावेगा । इस प्रकार उक्त चार वर्षो में कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी स्पष्ट नही हो सकी । संबंधित पत्र की फोटोप्रति इस प्रतिवेदन के **पृष्ठ कमांक 138** पर संलग्न है । कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक/डी.डी.एल.ए.आर./प्रति–2/2551 दिनांक 31.10.17 एवं संचालनालय स्थानीय निधिसंपरीक्षा रायपुर का पत्र कमांक/एल.एफ.ए./प्रति./वि.सं./2017/1116–1117 नया रायपुर दिनांक 06.11.17 कुल सचिव, पं.र.श.शुक्ल वि.वि. रायपुर की ओर प्रसारित किया गया परन्तु संपरीक्षा समाप्ति तक वितरण पंजी न तो पूर्ण किये गये, ना ही उनमें बचत फार्मो की संख्या का उल्लेख पाया गया ।

लेखावर्ष 2011–12 के पश्चात भी प्रकिया में कोई सुधार होना नही पाया गया । ना तो भौतिक सत्यापन किया गया है, ना ही विभागीय जांच एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित बचत प्रपत्रों की प्रविष्टि संबंधित स्टॉक एवं वितरण पंजी में दर्ज होना पाया गया । अतः परिनियम 108 के प्रावधान अनुसार लेखा तैयार करना, भौतिक सत्यापन करना, वापसी योग्य परीक्षा फार्मो एवं वसूली योग्य राशि की गणना एवं सत्यापन किये जाने की ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान विशेष रूप

स आकर्षित किया जाता है ताकि विश्वविद्यालय को होने वाली क्षति को रोका जा सके । इस प्रतिवेदन की कण्डिका कमांक 01 से 19 तक का निराकरण अपेक्षित है एवं इस संबंध में संलग्न **पृष्ठ क्र. 139** में दिये गये विवरण अवलोकनीय है । कण्डिका क्र. 20 के अनुसार राशि रू. 6209540.00 समायोजन योग्य पाया गया, जिसकी यथास्थिति परीक्षा फार्मो की वापसी, विकय फार्म की वसूली, समायोजन एवं दोषी के विरूद्व प्रशासनिक कार्यवाही किया जाकर संपरीक्षा को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण शुल्क :– पं. रविशंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2009–10 की आपत्ति कमांक 04 श्री जनकी प्रसाद शर्मा के गबन प्रकरण के सम्बंध में की गई विशेष सम्परीक्षा का सम्परीक्षा शुल्क कार्यालय उपसंचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर के पत्र कमांक /डी.डी.एल.ए.आर. /प्रति–3/17/ 3206 रायपुर दिनांक 29.12.2017 के निर्देशानुसार तथा इस प्रतिवेदन के पृष्ठ कमांक **140** पर संलग्न विवरण अनुसार कुल आय रूपये 62525442.00 पर 0.33 प्रतिशत की दर का तीन गुना सम्परीक्षा शुल्क रूपये 619002.00 आरोपित कर पत्र कमांक आर.जी./161 रायपुर दिनांक 30.12. 2017 जारी किया गया । विश्व विद्यालय द्वारा वास्तविक आय की जानकारी उपलब्ध कराने के पश्चात सशोधित विशेष सम्परीक्षा शुल्क जारी किया जावेगा। अंकेक्षण शुल्क की राशि चालान द्वारा निर्धारित शीर्ष में जमा किया जाकर चालान की मूलप्रति सत्यापन हेतु कार्यालय उप संचालक स्थानीय निधि सम्परीक्षा रायपुर की ओर प्रेषित किया जाना अपेक्षित है ।

लेखा शीर्ष जिसमें अंकेक्षण शुल्क जमा किया जाना है – 0070 अन्य प्रशानिक सेवाएं
60 अन्य सेवाएं
110 सरकारी लेखा परीक्षा फीस
(स्थानीय निधि संपरीक्षा शुल्क)

हस्ता/–
(टी.आर.ठाकुर)
सहायक संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

हस्ता/–
उप संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

हस्ता/–
(आर.एस.गेहलोत)
ज्येष्ठ संपरीक्षक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
रायपुर(छ.ग.)

अनुमोदित

हस्ता/–
संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग.)

60 Encl-08

23

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने वाले टीप

विषय– मूल विज्ञान केंद्र हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Equipments/Instruments क्रय किये जाने की स्वीकृति हेतु।

मूल विज्ञान केंद्र के जीवविज्ञान, रसायन, व भौतिकी प्रयोगशाला के प्रायोगिक कार्य हेतु Chemicals/Plasticwares/Glasswares/Equipments/Instruments का क्रय किया जाना है, जिसके लिए अनुमानित लागत रू. 20,17,925/– है, विकास विभाग के पत्र क्र.56/विकास/2017, दिनांक 15/03/2017 के संदर्भ में इन Chemicals/Plasticwares /Glasswares/Equipments/Instruments के क्रय हेतु DPC व CPC की आवश्यकता नहीं है, अतः इन सामग्रीयों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात् संबंधित फर्मों को कार्यादेश दिये जाने के पूर्व अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

21/3/18

संचालक

DIRECTOR
Center for Basic Sciences
Pt. Ravishankar Shukla University,
Raipur (C. G.) 492 010

(24)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–CBS के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संचालित सेंटर बेसीक साइंस के लिये संचालक सीबीएस द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री का क्रय किया जाना है।

इस्ट्रूमेंट सामग्री क्रय करने के लिये नस्ती को वित्त विभाग से परीक्षण कराया गया है। वित्त विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री क्रय हेतु रू.22,64,491=00 व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः सीबीएस के फिजिक्स लैब के लिये इंस्ट्रूमेंट सामग्री छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-18

(25)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–CBS के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा संचालित सेंटर बेसीक साइंस के लिये विभिन्न प्रकार के अलग–अलग फर्नीचर सामग्री का क्रय किया जाना है।

सीबीएस के लिये फर्नीचर सामग्री क्रय करने के लिये नस्ती को वित्त विभाग से परीक्षण कराया गया है। वित्त विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुरूप फर्नीचर सामग्री क्रय हेतु रू.12,54,458=00 व्यय हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः सीबीएस के लिये छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा अथवा Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-15

23/3/15

63

(26)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :—भौतिकी अ.शा. के लिये कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस प्रोजेक्टर आदि सामग्री क्रय किये जाने के संबध में।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के भौतिकी अ.शा. के लिये D.S.T. Fist Programme के अन्तर्गत द्वितीय किश्त में प्राप्त राशि रू.42,33,307=00 में से रू.10 लाख कम्प्यूटर एवं अन्य के लिये आबंटित है।

रू.10 लाख से कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये DPC & CPC के द्वारा अनुशंसा किया गया है। उपरोक्त सामग्री क्रय करने पर अनुमानित व्यय रू.7,86,948=00 होने का उल्लेख विभागाध्यक्ष, भौतिकी अ.शा. द्वारा किया गया है साथ ही D.S.T. Fist Programme के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का व्यय मार्च 2018 के पूर्व किया जाने का उल्लेख किया है।

अतः उपरोक्त सामग्री छ.ग. शासन के भण्डार क्रय नियम के अनुसार Government e-marketing (Gem) के माध्यम से क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

23-3-18

23/3/18

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :–भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।

भू–विज्ञान अध्ययनशाला के Seminar Hall cum Conference Hall and Research Scholar room पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के उपयोग हेतु लगने वाले आवश्यक सामग्रियों क्रमशः पोडियम, चेयर, टेबल, एसी, पी.ए. सिस्टम, स्मार्ट बोर्ड का क्रय नहीं किया गया है।

भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेमिनार हॉल के लिये छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम के प्रावधान अनुसार आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

आवश्यक सामग्री क्रय करने पर अनुमानित व्यय रू.7,15,000=00 होने की संभावना है, जिसका भुगतान सत्र 2018–19 के लिये Otner S.o.S के लिये प्रावधानित बजट से भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

12-4-18 DR (Dev.) 12/4/18

कार्यालयीन टीप

विषय : **B.Voc.** के **Advisory Committee** के अनुशंसा को स्वीकार करने पर विचार करना।

टीप : बी.वॉक अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन की एडवाइजरी कमेटी की संस्तुति के अनुसार पाठ्यक्रम का **AICTE** से अनुमोदन तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए केन्द्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूवेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट करने व सेन्टर काउंसिल ग्रीन जॉब से पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों का एसेसमेंट करने तथा अन्य संस्तुतियों पर विचार करना।

क्रमांक/1527/स्था./सा.प्रशा./2018 रायपुर, दिनांक 13 /04/2018

प्रति,

श्री नरेशचन्द्र गुप्ता,
कार्यपरिषद सदस्य,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
8 विवेकानंद नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– पांच बिन्दुओं की जानकारी के संबंध में।
सन्दर्भ :–आपका पत्र दिनांक 22.03.2018

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक की जानकारी पूर्व में आपको प्रेषित की गयी है।

बिन्दु क्रमांक 5 के संबंध में लेख है कि डॉ. जे.एल. गंगवानी, पूर्व उप कुलसचिव (संविदा) ने व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख कर नियमानुसार एक माह का वेतन जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे।

डॉ. जे.एल. गंगवानी, पूर्व उप कुलसचिव (संविदा) के त्यागपत्र को स्वीकार कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3443/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा इनकी संविदा सेवा समाप्त किया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (प्रशा.)

पृ. क्रमांक/1528/स्था./सा.प्रशा./2018 रायपुर, दिनांक 13 /04/2018

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कक्ष अधिकारी (प्रशा.)

F:/Sahu /Letter 2018/126

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) 492010

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-Mail - adm.prsu@yahoo.in

कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु विभागीय टीप

विषय :– आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना से 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित हुए शासकीय सेवकों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान संबंधी।

छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. 79/एल 2017–04–00364/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 28.02.2018 का कृपया अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा आकस्मिकता तथा कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों की सेवा 01.11.2004 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना में नियमित होने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 अंतर्गत पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया गया है। जिसके तहत ऐसे नियमित कर्मचारियों को Non-NPS कर्मचारी चिन्हांकित करते हुए PRAN में जमा राशि में कर्मचारी अंशदान राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में तथा नियोक्ता अंशदान की राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 12–1/2007/1–3, रायपुर, दिनांक 05.03.2008 के अनुक्रम में इस कार्यालय के आदेश क्र. 355/सा.प्रशा./2009, रायपुर दिनांक 02.02.2009 के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत 45 दै.वे.भो. कर्मचारियों में से 05 नि.व.लि. तथा 40 चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियमित किए गए हैं तथा सा.प्रशा. के आदेश क्र. 654/सा.प्रशा./09, रायपुर, दिनांक 25.02.2009 के द्वारा 11 दै.वे.भो. कर्मचारियों को चतुर्थ वर्ग (लेब अटेंडेंट) के पद पर इस तरह कुल 56 दै.वे.भो. कर्मचारियों को कार्यभारित पद पर नियमित किया गया है। इनमें से वर्तमान में 50 कर्मचारी वि.वि. की सेवा में कार्यरत हैं। (संलग्न सूची अनुसार)

उपरोक्त कर्मचारियों की कर्मचारी अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की राशि वर्तमान में विश्वविद्यालय के खाते में ही जमा की जा रही है। इन्हें PRAN NO. जारी नहीं किया गया है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कर्मचारी अंशदान राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में (सी.पी.एफ. खाते में) तथा नियोक्ता अंशदान की राशि तथा उस पर उपार्जित लाभ शासन के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जानी है।

अतः शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार दै.वे.भो. से नियमित किए गए उपरोक्त 50 कर्मचारियों (सूची संलग्न) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1979 के अंतर्गत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Deputy Registrar (Admn.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) 492010

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-Mail - adm.prsu@yahoo.in

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से नियमित हुए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी :–

क्र.	नाम	पदनाम	नियमितीकरण तिथि	टीप
01	श्री अरूण कुमार झा	नि.व.लि.	02.02.2009	
02	श्री राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी	नि.व.लि.	02.02.2009	
03	श्री विवेक शर्मा	नि.व.लि.	02.02.2009	
04	श्री रमेश कुमार पटेल	चपरासी	02.02.2009	
05	श्री मन्नूलाल साहू	चपरासी	02.02.2009	
06	श्री परमेश्वर	चपरासी	02.02.2009	
07	श्री मुकेश कुमार	चपरासी	02.02.2009	
08	श्री सुखराम	चपरासी	02.02.2009	
09	श्री खिलावन राम	चपरासी	02.02.2009	
10	श्री कृष्ण कुमार	चपरासी	02.02.2009	
11	श्री बाबा सिंह	चपरासी	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
12	श्री आशीष कुमार बारी	चपरासी	02.02.2009	
13	श्री जगमोहन राम साहू	चपरासी	02.02.2009	
14	श्री दुर्योधन साहू	चपरासी	02.02.2009	
15	श्री छोटेलाल	चपरासी	02.02.2009	
16	श्री हेमंत कुमार साहू	चपरासी	02.02.2009	
17	श्री कृपा राम साहू	चपरासी	02.02.2009	
18	श्री वल्लभ राव	चपरासी	02.02.2009	
19	श्री श्याम दास	चपरासी	02.02.2009	
20	श्री अजय कोसरकर	चपरासी	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
21	श्री अरूण कुमार जांगड़े	चपरासी	02.02.2009	
22	श्री नारायण प्रसाद	चपरासी	02.02.2009	
23	श्री संतोष कुमार	लेब अटें.	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
24	श्री रमेश कुमार वर्मा	लेब अटें.	02.02.2009	
25	श्री मनीराम	लेब अटें.	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
26	श्री मोहन लाल दुबे	लेब अटें.	02.02.2009	
27	श्री भीष्म प्रसाद सिन्हा	लेब अटें.	02.02.2009	
28	श्री शिवराम विश्वकर्मा	चौकीदार	02.02.2009	
29	श्री तोरन लाल	चौकीदार	02.02.2009	
30	श्री मोहर लाल साहू	बुक अटें.	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
31	श्री राजेश्वर यादव	बुक अटें.	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
32	श्री संतोष कुमार कश्यप	फील्डअसि.	02.02.2009	
33	श्री कुमार सोना	पम्पमेनअटें.	02.02.2009	
34	श्रीमती प्रमिला यादव	अटेंडेंट	02.02.2009	

E:\Class IV Brif\Newfile-vivek.doc/

35	श्री पवन कुमार यादव	केयर–टेकर	02.02.2009	
36	श्री रिखी राम	माली	02.02.2009	
37	श्री कमला प्रसाद काक्षी	माली	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
38	श्री नंद किशोर यादव	माली	02.02.2009	
39	श्री दरस राम वर्मा	माली	02.02.2009	
40	श्रीमती शर्मिला सिन्दूर	जमादार	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
41	कु. राजेश्वरी	जमादार	02.02.2009	
42	श्री श्याम सोनेकर	जमादार	02.02.2009	पदोन्नत–नि.व.लि.
43	श्री सुरेश सिंह ठाकुर	लेब अटें.	25.02.2009	
44	कु. अर्चना शर्मा	लेब अटें.	25.02.2009	
45	श्री सतीश कुमार तिवारी	लेब अटें.	25.02.2009	
46	श्री जनक दासमानिकपुरी	लेब अटें	25.02.2009	
47	श्री श्याम सुंदर वर्मा	लेब अटें.	25.02.2009	
48	श्री अमरेश शुक्ला	लेब अटें.	25.02.2009	
49	श्री संतोष कुमार दुबे	लेब अटें.	25.02.2009	
50	श्री मानसिंह साहू	लेब अटें.	25.02.2009	

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय : अध्यापक शिक्षा संस्थान के नवनिर्मित भवन के लिये फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु अनुमानित व्यय राशि रु. 23,29,255=00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप : (अ) अध्यापक शिक्षा संस्थान की कक्षाएं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नवनिर्मित भवन में संचालीत किया जा रहा है। उक्त नवनिर्मित भवन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फर्नीचर क्रय किया जाना है।

(ब) इस हेतु सत्र 2018–19 के लिए (VIII (5)) Office automation (furniture की teaching aid) के लिये रु. 51=00 लाख बजट का प्रावधान किया गया है।

(स) विभागाध्यक्ष अध्यापक शिक्षा संस्थान ने उक्त प्रावधानित बजट में से Gem द्वारा दर्शाई गई मूल्य सूची के आधार पर अनुमानित बजट तैयार किये जाने हेतु Gem में उपलब्ध मूल्य सूची को आधार लेते हुए, मान. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासकीय एवम् वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु फर्नीचर हेतु 23,29,255=00 (अनुमानित) प्रस्तुत किया है एवम् मान. कुलपति जी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः नियमानुसार खरीदी किए जाने हेतु उक्त राशि के प्रशासकीय एवम् वित्तीय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[signature]

[Rs. in Lacs]

NO.	HEAD OF ACCOUNT	ACTUAL 2016-17	BE 2017-18	ACTUAL 1.4.2017 30.11.2017	ESTIMATES 01.12.2017 31.03.2018	RE 2017-18	BE 2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Eastablishment of Basic Science (Physics, Chem.,Bio Mathematics & other Misc.)	99.41	150.00	36.01	113.99	150.00	150.00
14	**Eastablishment of Community Radio Station**		10.00				**10.00**
15	Institutional Ethics Comm.(IEC)	1.92	6.00		1.00	1.00	1.20
16	Seminar hall (All depa.) Audio-visual/ Equip. /projector		50.00		5.00	5.00	**10.00**
17	Museum		20.00				5.00
18	Scopus Subscription		20.00		2.00	2.00	2.00
	TOTAL C - VI	**215.79**	**687.00**	**123.35**	**435.65**	**559.00**	**628.00**
SELF FINANCE S.o.S.							
C - VII	**- Institute of Tourism & Hotel Management**						
1	Allowances / Honorarium	4.52	3.00	3.33	1.67	5.00	5.00
2	Contingency	0.10	0.15	0.10	0.05	0.15	0.15
3	Furniture & Equipment		0.25		0.25	0.25	0.25
4	Books & Journals		0.30		0.30	0.30	0.30
5	Provision for Telephone & Electricity & Insurance		0.30		0.30	0.30	0.30
	TOTAL C - VII	**4.62**	**4.00**	**3.43**	**2.57**	**6.00**	**6.00**
C - VIII	**- Institute of Teachers Education**						
1	Salary/Establishment Expenditure	23.65	40.00	16.00	14.00	30.00	33.00
2	Lab Equipment & other lab requirements		1.00		1.00	1.00	1.00
3	Other contingencies	0.46	2.00	0.31	1.69	2.00	2.00
4	Refund/Excursion		1.00		1.00	1.00	1.00
5	Office Automation(**Furniture & Teaching aid)**		1.00		1.00	1.00	**51.00**
6	Building Construction						
7	i. Refund of Library Caution Money		1.00		1.00	1.00	1.00
	ii Refund of Others Fees						
8	Events & Cultural Programme		0.50		0.50	0.50	0.50
9	TA/DA & Honorarium to Guest Faculty		1.00		1.00	1.00	1.00
10	Misc.		1.50		1.50	1.50	1.50
	TOTAL C - VIII	**24.11**	**49.00**	**16.31**	**22.69**	**39.00**	**92.00**